सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

आयकर विभाग में तलाशी और जब्ती निर्धारणों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार

राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर

2020 की प्रतिवेदन संख्या 14

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु

आयकर विभाग में तलाशी और जब्ती निर्धारणों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार

राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर

2020 की प्रतिवेदन संख्या 14

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

_____________*को लोक सभा/ राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया*

विषय सूची

विषय सूची		पृष्ठ
प्राक्कथन		*i*
कार्यकारी सार		*iii-vii*
सिफारिशों का सार		*ix-xii*
अध्याय 1:	प्रस्तावना	1-6
अध्याय 2:	निर्धारणों में प्रणालिगत कमियों और निर्धारण करने में अधिनियम/ नियमों/ परिपत्रों के मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन की सीमा	7-50
अध्याय 3:	आयकर विभाग के विभिन्न विंगों के मध्य तथा आयकर विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियो के बीच समन्वय	51-69
	परिशिष्ट	71-72

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर की आयकर विभाग में 2014-15 से 2017-18 के दौरान तलाशी और जब्ती निर्धारणों की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो मार्च 2019 से जुलाई 2019 में की गई लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

तलाशी और जब्ती छिपाई गई आय या धन को ढूंढने के लिए और कर अपवंचन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए आयकर विभाग के पास उपलब्ध एक शक्तिशाली तंत्र है जिससे काले धन के सृजन को कम किया जा सकता है। आयकर विभाग केवल उन मामलों में ही तलाशी और जब्ती का सहारा लेता है जहां इस बात पर विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संबंधित व्यक्ति सामान्य रूप से रिटर्न फाईल करने में और नियमित निर्धारण में अपनी आय को सही रूप से नहीं दर्शाएगा।

हमारे द्वारा आयकर विभाग में तलाशी और जब्ती निर्धारणों पर अग्रलिखित उद्देश्यों (i) ऐसे निर्धारण करते समय, अधिनियम/ नियमों/ परिपत्र/ निर्देशों के मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन की सीमा और प्रणालीगत कमी, यदि कोई है तो, इन निर्धारणों में इंगित करने के लिए भी; और (ii) तलाशी और जब्ती प्रचालनों के दौरान अघोषित आय के संबंध में निर्धारण किये जाने के दौरान जानकारी देने के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों/विभाग के विभिन्न विंगों के साथ समन्वय में विभाग द्वारा किये गये प्रयासों की जांच करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) में वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पूरे किये गये तलाशी निर्धारणों को शामिल किया गया। हमारे लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वि.व. 2014-15 से वि.व. 2017-18 की अवधि के दौरान कुल 1417 समूहों का निर्धारण किया गया। इस लेखापरीक्षा क्षेत्र में से 185 समूहों के नमूने लिए गए। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने ₹1,71,503.78 करोड़ की निर्धारित आय वाले 24,869 निर्धारण रिकॉर्ड की जांच की। हमने ₹4150.02 करोड़ के कर प्रभाव वाले तलाशी निर्धारणों और शास्ति के गैर-उद्ग्रहण के दौरान मूल्यांकन रिपोर्ट में अधिनियम में प्रावधान के अभाव, आयकर प्रावधानों की अननुपालना, तलाशी निर्धारितियों का गैर-केंद्रीयकरण, परिवर्धन करते हुए असमानता, की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन न किये जाने के संबंध में 1659 अभ्युक्तियाँ जारी की। इसके अतिरिक्त, हमने तलाशी निर्धारणों के दौरान किये गये परिवर्धनों की निरतंरता का भी विश्लेषण किया।

चूंकि हमने नमूने के अनुसार निर्धारण मामलों/ रिकॉर्ड की सीमित संख्या देखी, मंत्रालय को नमूने द्वारा कवर किये गये मामलों में ही नहीं, इस मामले की इसकी पूर्ण समग्रता से जांच करने की आवश्यकता है।

निष्कर्षों का पैराग्राफ-वार सार नीचे दिया गया है:

- लेखापरीक्षा में ऐसे मामले भी पाये गए जहां तलाशी निर्धारणों के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों में खामियां/त्रुटियां थीं। ये खामियां मुख्यत: अधिनियम/नियमों में विशेष प्रावधानों के अभाव से संबंधित थीं।

(पैराग्राफ 2.4)

- लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने निर्धारणों के लिए कुछ समूहों के संबंध में सभी मामलों का केंद्रीकरण नहीं किया जिसके कारण मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित किये गये निर्धारितियों से संबंधित मामलों को निपटाया नहीं जा सका।

(पैराग्राफ 2.5)

- कुछ समूहों के संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारणों में किये गये 76.5 प्रतिशत परिवर्धन सीआईटी(अपील)/आईटीएटी के स्तर पर अपीलों में न्यायिक संवीक्षा की जांच में नहीं ठहरते। हमने ऐसे मामलों का अवलोकन भी किया जहां निर्धारण आदेशों में किये गये परिवर्धनों की संधारणीयता अपीलीय स्तर पर शून्य थी।

(पैराग्राफ 2.6)

- लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले भी पाये जहां निर्धारण अधिकारी ने निर्धारणों को अंतिम रूप देते हुए फर्जी खरीद, समायोजन प्रविष्टियों और निर्धारित आय/संशोधित आय के आंकड़ों को स्वीकृत करने के संबंध में परिवर्धन करने में समान कार्रवाई नहीं की। परिवर्धन केवल या तो एक मुख्य राशि पर या उचित न्यायसंगतता के बिना समान परिस्थितियों में पांच प्रतिशत से 50 प्रतिशत की भिन्न प्रतिशतता रेंज तक स्वेच्छा से किये गये थे।

(पैराग्राफ 2.7)

- लेखापरीक्षा ने सीबीडीटी के निर्देशों/ आदेशों की अननुपालना के मामले जैसे डीजीआईटी (जांच) के निर्देशों के बावजूद उच्च न्यायालय में उचित मांग संग्रहण बिना और अपील फाईल न करते हुए अपील को अनुमत करने के मामले पाये। लेखपरीक्षा ने ऐसे मामले भी पाये जहां निर्धारण अधिकारी ने उच्चतर प्राधिकारी के अनुमोदन बिना अधिनियम की धारा 271(1)(सी)/271एएबी के अंतर्गत शास्ति कार्यवाही नहीं की।

(पैराग्राफ 2.8)

- लेखापरीक्षा ने कुछ मामलों का अवलोकन किया, जिसमें निर्धारण अधिकारी ने तलाशी के अंतर्गत प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की आय का निर्धारण नहीं किया।

(पैराग्राफ 2.9)

- लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलों की जांच की जहां निर्धारण अधिकारी ने तलाशी निर्धारणों को अंतिम रूप देते हुये शास्ति का उद्ग्रहण नहीं किया यद्यपि यह उद्ग्राहय था।

(पैराग्राफ 2.11)

- लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलों की जांच की जहां निर्धारण अधिकारी ने तलाशी निर्धारणों को अंतिम रूप देते हुए, अस्पष्टीकृत ऋण का आकलन नहीं किया, अधिनियम की धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत अस्पष्ट क्रेडिट और उद्ग्रहित कर उद्ग्रहण के स्थान पर सामान्य प्रावधानों पर निर्धारण नहीं किया, लघु मांग की गणना की, निर्दिष्ट दर से कम दर पर प्रभारित कर, कम उद्ग्रहित ब्याज, उपप्रभार की संगणना की और छूट प्राप्त आय, अनुमत गलत मैट क्रेडिट आदि से संबंधित व्यय को अननुमत नहीं किया।

(पैराग्राफ 2.12)

- लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलों की जांच की जहां निर्धारण अधिकारी ने तलाशी निर्धारण के दौरान प्रावधानों जैसे स्थानांतरण कीमत निर्धारण अधिकारी (टीपीओ) को मामलों को न भेजना, आईटी अधिनियम में सनदी लेखाकार द्वारा किये गये अपराध पर कार्रवाई, प्रविष्टि प्रदाता पर कार्रवाई में विलंब, आईटी रिटर्न फाइल किये बिना निर्धारण, निर्धारण आदेश पारित करने से पहले संयुक्त आयुक्त का पूर्व अनुमोदन नहीं लेना आदि का अनुपालन नहीं किया।

(पैराग्राफ 2.13)

- लेखापरीक्षा ने निर्धारण अधिकारी के पास जब्त सामान के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट के सौंपने में एक महीने से 14 महीनों के बीच बिलंब पाया। जब्त किये गये सामान को सौंपने में असामान्य विलंब से निर्धारण के लिए कम समय मिल सकता है, निर्धारण जल्द पूरा करने के लिए मानवीय त्रुटि का अनुवर्ती जोखिम होता है; जिससे निर्धारणों की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

(पैराग्राफ 3.1.1)

- लेखापरीक्षा में ऐसे मामलें देखे गए जहां निर्धारण अधिकारी ने मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित किये गये संव्यवहारों के स्त्रोत/सटीकता की जांच नहीं की और मूल्यांकन रिपोर्ट में सिफारिश की गई अघोषित आय को नहीं जोड़ा, मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित किये गये प्रविष्टि प्रदाता से प्राप्त अप्रत्याभूत ऋण/ अग्रिम, संपूर्ण अघोषित आय का निर्धारण नहीं किया गया, टीडीएस के साक्ष्य के अभाव में निर्धारिती की आय में व्यय को नहीं जोड़ा गया था, तलाशी फोल्डर और सामग्री की प्राप्ति के बावजूद विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तथापि, विभाग को इन मामलों में आयकर विभाग के अन्य विंगों जैसे अन्वेषण विंग, टीडीएस सर्कल आदि के साथ सहयोग और निर्धारणों को अंतिम रूप देने से पहले मामलों का समाधान करना अपेक्षित था परंतु ऐसा नहीं किया।

(पैराग्राफ 3.1.2)

- लेखापरीक्षा में ऐसे मामलें देखे गए जहां निर्धारण अधिकारी ने निर्धारितियों द्वारा स्वीकृत अघोषित आय में परिवर्धन नहीं किया या तलाशी के दौरान शपथ पत्र पर दिये गये बयान के आधार पर व्यय को अननुमत नहीं किया तथा अन्वेषण विंग के साथ मिलकर मामले का समाधान भी नहीं किया।

(पैराग्राफ 3.1.3)

- लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले पाये जहां अन्य सरकारी एजेंसियों अर्थात आरईआईसी और सीबीईसी ने आयकर विभाग के साथ सूचना साझा नहीं की। परिणामस्वरूप, निर्धारण अधिकारी या तो तलाशी निर्धारणों में या अपेक्षित जानकारी की जांच किए बिना अंतिम रूप दिये गये निर्धारण में आई समस्याओं जैसे उत्पाद शुल्क भुगतान के बिना स्टॉक को हटाना, बीजक/बिलों के बिना नकद खरीद और निवेश के स्त्रोतों की सटीकता आदि को नहीं सुलझा सका जो राजस्व हित के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण हो सकते हैं।

(पैराग्राफ 3.2.1)

- लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि पेपर कंपनियों के ऋणों के अग्रिम से संबंधित सूचना, पीएसआई सब्सिडी/विक्रय कर सब्सिडी का गलत दावा या तो प्रत्यक्ष रूप से या आरईआईसी द्वारा अन्य सरकारी एजेंसियों/ प्राधिकरणों के साथ आयकर विभाग के द्वारा साझा नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 3.2.2)

- लेखापरीक्षा ने कुछ समूहों में अवलोकन किया जहां जब्त सामग्री की विस्तृत एवं व्यवस्थित जांच के आधार पर कार्रवाई टिप्पणियां निर्धारण अधिकारी द्वारा तैयार नहीं की गई थीं। लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकन किया कि अलग विवरणात्मक रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी और और सदस्य (अन्वेषण) को नहीं भेजी गई थी।

(पैराग्राफ 3.3)

- लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलें भी पाये जिनमें यद्यपि भूमि/फ्लैट/वस्तुओं के विक्रेताओं से संबंधित सूचना, संबंधित मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित की गई थी, जो संभावित निर्धारिती हो सकते थे। तथापि, इस संबंध में विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। विभाग ने यह भी पुष्टि नहीं की कि क्या ये विक्रेता विभाग के कर दायरे में थे और नियमित रूप से रिटर्न फाइल कर रहे थे।

(पैराग्राफ 3.4)

सिफारिशों का सार

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

- सीबीडीटी तलाशी और जब्ती के दौरान पाई गई अघोषित आय के प्रति नियमित निर्धारण में निर्धारित की गई पिछले वर्षों/पूर्व वर्षों की हानि के समंजन की अनुमति नहीं देने के लिए उपयुक्त प्रावधान लाए।

(पैराग्राफ 2.4.1)

सीबीडीटी ने कहा (जून 2020) कि सीएजी की अभियुक्ति पहले से ही कानून में समाविष्ट है जिसके कारण आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

सीबीडीटी फर्जी क्रय और बढ़े हुए इनवाइस आदि के सम्बंध में मौजूदा प्रावधानों की पर्याप्तता की जाँच करे क्योंकि इनसे अघोषित आय मौजूदा प्रावधानों के दायरे में नहीं आती है।

- सीबीडीटी अधिनियम की संशोधित धारा 153ए/153सी के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए समय सीमा लागू करे।

(पैराग्राफ 2.4.2)

सीबीडीटी ने कहा (जून 2020) कि इस मुद्दे की जांच टीपीएल डिवीजन द्वारा की जाएगी।

- सीबीडीटी यह जाँच करे कि ये त्रुटियाँ, चूक या जानबूझकर की गई गलतियां हैं और उस सम्बंध में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करे।

(पैराग्राफ 2.4.3)

- *आयकर विभाग केन्द्रीय मंडल में सभी तलाशी मामलों में केन्द्रीयकरण के संबंध में सीबीडीटी के मौजूदा निर्देशों की अनुपालना की निगरानी के लिए तंत्र को मजबूत करे, ताकि मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लिखित सभी मुद्दों का समाधान किया जा सके और निर्धारण को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।*

(पैराग्राफ 2.5)

सीबीडीटी ने बताया (जून 2020) कि केन्द्रीयकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजस्व की किसी हानि को रोकने के लिए और उचित निर्धारण को सुगम बनाने के लिए समूह तलाशी के साथ सीधे जुड़े सभी मामलों का एक स्थान पर निर्धारण किया गया है। लेकिन इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं कि संबंधित पक्षों को भी केन्द्रीकृत किया जाना है।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि जहां एक विशिष्ट निर्धारिती से संबंधित मुद्दे मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लिखित हुए हैं, उसको केंद्रीयकृत किया जाए और निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उनका निर्धारण नाम/पहचान रहित तरीके से होना चाहिए जहाँ पर निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी एक दूसरे की पहचान के बारे में नहीं जानते हों।

- विभाग यह सुनिश्चित करे कि तलाशी वारंट सूचना के समुचित परिक्षण, अनुसंधान और उचित परिश्रम के बाद जारी किया जाए जो संदेह से परे हो क्योंकि तलाशी और जब्ती में निर्धारिती और उनके परिवारों का बहुत उत्पीड़न शामिल है। न्यायिक निकाय की भूमिका की संभावना भी तलाश की जाए। सीबीडीटी कम संधारणीयता के कारणों का विश्लेषण करे और सम्बंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करे।

(पैराग्राफ 2.6)

- *सीबीडीटी समान स्थितियों के तहत एक ही कानून की प्रयोज्यता में व्यापक भिन्नता के कारणों की जाँच करें तथा निर्धारण करने में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक समाधान निकाले। सीबीडीटी यह भी जाँच करे कि ये त्रुटियाँ जानबूझकर या चूक से हुई है और उस सम्बंच में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करे।*

(पैराग्राफ 2.7, 2.8 से 2.12)

- *सीबीडीटी एक प्रणाली स्थापित करें ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि जब्त माल के साथ मूल्याकन रिर्पोट निर्धारित समय के अन्दर निर्धारण विंग को सौंपी जा सके ताकि निर्धारण अधिकारी को मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित किए गये सभी मुददों की जांच करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकें।*

(पैराग्राफ 3.1.1)

- *सीबीडीटी एक प्रणाली स्थापित करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित किए गये मुद्दों को निर्धारण के दौरान विधिवत संबोधित किया गया है।*

(पैराग्राफ 3.1.2)

- *अधिनियम के प्रावधान 132(4) का प्रभावी उपयोग करने के लिए आयकर विभाग अपनी निर्धारण प्रक्रिया को मजबूत करे।*

(पैराग्राफ 3.1.3)

सीबीडीटी ने लेखापरीक्षा सिफारिश की जांच करने पर सहमति व्यक्त की (जून 2020)।

- *आयकर विभाग, विभाग के विभिन्न विंगों के साथ-साथ अन्य सरकारी एजेंसियों के मध्य सूचना के आदान-प्रदान के तंत्र को मजबूत करें और प्रभावी निर्धारणों के लिए समयबद्धता सुनिश्चित करें* और *निर्धारिती को अनुचित लाभ लेने से रोकें।*

(पैराग्राफ 3.2)

सीबीडीटी ने बताया (जून 2020) कि मौजूदा प्रक्रियाएं/तंत्र विभाग के अंदर और साथ ही अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ सूचना का प्रभावी आदान-प्रदान पहले से ही कर रहे हैं और बोर्ड ने समय-समय पर संबंधित क्षेत्रीय सरंचनाओं को समय-सीमा का सख्ती से पालन करने हेतु निर्देशित करने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए है। तथापि, सीबीडीटी ने इस बात पर सहमति दी कि मौजूदा तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

- *जहाँ पर कार्रवाई नोट/पृथक विवरणात्मक रिपोर्ट नहीं तैयार की गई हो वहां जिम्मेदारी निश्चित की जाए और समुचित कार्रवाई की जाए ताकि तलाशी कार्यों का उद्देश्य पराजित ना हो।*

(पैराग्राफ 3.3)

- *आयकर विभाग तलाशी अभियानों/निर्धारणों के फलस्वरूप कर दायरे में जोड़े गए नए निर्धारितियों का पता लगाने के लिए एक सिस्टम तैयार करे और यह भी देखे कि वे निर्धारिती कर अनुपालन कर रहे हैं।*

(पैराग्राफ 3.4)

सीबीडीटी ने बताया (जून 2020) कि प्र. सीआईटी से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, वे चूकों का पता लगाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो।

अध्याय 1: प्रस्तावना

1.1 तलाशी और जब्ती किसी भी छिपायी गयी आय या कीमती वस्तुओं का पता लगाने और कर अपवंचन की प्रवृत्तियों की जांच करने के लिए आयकर विभाग के पास उपलब्ध एक बहुत ही शक्तिशाली तंत्र है जिससे काले धन के अर्जन को कम किया जा रहा है। तलाशी अभियानों में उन करदाताओं के मामले में छिपी हुई आय और धन का पता लगाने के लिए आयकर विभाग के पास सूचना के आधार पर अन्वेषणात्मक प्रथाएं है, जिन्होंने अपने कर दायित्वों के निर्वहन में अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति का प्रकटन नहीं किया है। जब्ती का तात्पर्य उन परिसंपत्तियों पर कब्जा करना है जिसका आयकर विभाग को और उन लेखाओं/दस्तावेजों, कागजातों में खुलासा नहीं किया गया है जिनमें बेहिसाब धन/आय का विवरण शामिल हैं, जो आयकर प्राधिकारियों को नहीं बताया गया है। आयकर विभाग केवल उन मामलों में तलाशी और जब्ती का सहारा लेता है जहां यह मानने का पर्याप्त कारण है कि संबंधित व्यक्ति ने रिटर्न दाखिल करने और नियमित निर्धारण की सामान्य प्रक्रिया में अपनी आय की सही स्थिति का खुलासा नहीं किया।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 132 आयकर प्राधिकारियों को खाता बहियों, दस्तावेजों, नकदी, आभूषणों आदि की तलाशी और जब्ती करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 132ए कुछ आयकर प्राधिकारियों को खाता बहियों, दस्तावेजों आदि की मांग करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, सीबीडीटी ने तलाशी और जब्ती के अभियानों/निर्धारणों को सुगम बनाने के लिए समय-समय पर निर्देशो/परिपत्रों को भी जारी किया।

1.2 हमने यह विषय क्यों चुना

यह देखा गया था कि विभाग द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान में 2014-15 में ₹10,288 करोड़ की अघोषित आय को कर में लाया गया जो 2016-17 में बढ़कर ₹15,497 करोड़ हो गई। इस प्रकार, 2014-15 की तुलना में 2016-17 में की गई तलाशी के कारण अघोषित आय में 51 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि को रेखांकित किया गया है।

तलाशी और जब्ती पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 2006 की रिपोर्ट संख्या 7 में इसे शामिल किया गया था जिसमे जांच और निर्धारण में कमियों के कारण अपीलिय स्तर पर

तलाशी और जब्ती मामलों में निर्धारण में किए गए परिवर्धनों की कम संधारणीयता को बताया गया था और तद्नुसार यह सिफारिश की गई थी कि बोर्ड अपीलीय स्तर में राहत की अनुमति देने वाले कारणों की जांच करे और इसके समाधान के लिए उचित कदम उठाए। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना महत्वपूर्ण था। तद्नुसार, हमने इस विषय को निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चुना ताकि निम्नलिखित की जांच की जा सके:

क. अपीलीय चरण में तलाशी और जब्ती मामलों के निर्धारणों में किए गए परिवर्धनों की संधारणीयता।

ख. सीएजी की 2006 की रिपोर्ट संख्या 7 में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- इस तरह के निर्धारणों में अधिनियम/नियमों/परिपत्र निर्देशों के मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन की सीमा की जांच करने के लिए और इन निर्धारणों में प्रणालीगत कमी यदि कोई हों, को भी इंगित करने के लिए।
- निर्धारण करने के दौरान तलाशी और जब्ती अभियानों के दौरान अघोषित आय का पता लगाने संबंधी, सूचना के प्रसार के लिए अन्य सरकारी एजेंन्सियों/विभाग के विभिन्न विंगों के साथ समन्वय में विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की जांच करना।

1.4 कानूनी ढांचा

सीबीडीटी के प्रासंगिक और परिपत्र/निर्देशों के साथ तलाश किए गए निर्धारितियों के कराधान से संबंधित कानूनी प्रावधान नीचे सूचीबद्ध हैं:

तालिका संख्या 1: आयकर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान	
धारा/नियम	**विषय सामग्री**
धारा 131	खोज, साक्ष्य को प्रस्तुत करना आदि से संबंधित अधिकार
नियम 112 के साथ पठित धारा 132	तलाशी और जब्ती के लिए अधिकार
धारा 132 (4)	शपथ के अधीन बयान
नियम 112ए व 112डी के साथ पठित धारा 132ए	पूछताछ, खाता बहियां आदि को मांगने का अधिकार
नियम 112सी के साथ पठित धारा 132बी	जब्त किए गए या अधिग्रहित परिसंपत्तियों की अनुप्रयोज्यता
धारा 153ए	तलाशी या अधिग्रहण के मामले में निर्धारण करना
धारा 153सी	किसी अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण करना
धारा 153बी	धारा 153ए के तहत निर्धारण को पूरा करने लिए समय-सीमा
धारा 153डी	तलाशी/अधिग्रहण के मामले में निर्धारण के लिए आवश्यक पूर्व अनुमोदन
धारा 245सी	निपटान को आयोग आवेदन करना
धारा 246(1) (बीए)	आयुक्त (अपील) को अपील करना
धारा 271(1) (सी)	छिपी हुई आय के लिए शास्ति
धारा 271एएबी	शास्ति जहां तलाशी प्रारंभ नहीं की गई है।
	अधिनियम के अन्य सभी प्रावधानों को धारा 153ए के तहत पूरे किए गए निर्धारण में लागू किया जाएग।

1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और नमूना आकार

निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान पूरे किए गए तलाशी निर्धारणों को कवर किया गया। पीए में उन मामलों को भी कवर किया जहाँ अपील के चरण में परिवर्धनों की गैर-संधारणीयता के लिए कारणों का विश्लेषण करने के लिए लेखापरीक्षा के समय तक पहली अपील पर निर्णय दिया गया था। तलाशी निर्धारण रिकॉर्डों को न केवल छह निर्धारण वर्षों के ब्लॉक के लिए बल्कि उस पिछले वर्ष के संगत निर्धारण वर्ष के लिए भी जांच की गई थी जिसमें तलाशी की गई थी।

हमारे लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान कुल 1,417 समूहों का निर्धारण किया गया था। विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है। इस लेखापरीक्षा में से 185 समूहों का यूनिवर्स का नमूना लिया गया था। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए दिल्ली मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई कार्यालयों (शाखा कार्यालयों सहित)

में से प्रत्येक द्वारा न्यूनतम 20 समूह मामलों और अहमदाबाद, बेंगलुरू, चंड़ीगढ़, हैदराबाद और लखनऊ कार्यालयों (शाखा कार्यालयों सहित) में से प्रत्येक द्वारा न्यूनतम 15 समूह मामलों का चयन किया गया था।

1.6 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण

i. 15 मार्च 2019 को आयकर विभाग/सीबीडीटी के साथ एक एन्ट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य केन्द्रित क्षेत्रों का आयकर विभाग को विवरण दिया गया था।

ii. 2014-15 से 2017-18 की अवधि के लिए सांख्यिकीय सूचना विभिन्न निर्धारण प्रभारों के तहत उनके क्षेत्राधिकार में तलाशी गई और निर्धारण किए गए निर्धारितियों के संबंध में केन्द्रीय सर्किल आयुक्तों से संग्रहित की गई थी।

iii. हमने विस्तृत जांच के लिए आयकर विभाग के क्षेत्रीय संरचनाओं से संग्रहित की गई सूचना से 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान निर्धारण किए गए 1,417 समूहों में से 185 समूहों का चयन किया था **(परिशिष्ट-1)**। नमूने का चयन हमारे प्रत्येक क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा उसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके समूहों की निर्धारण किए गए आय के आधार पर किया गया था।

iv. हमने यह पता लगाने के लिए भी विश्लेषण किया कि क्या निर्धारण में निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धनों को अपीलीय चरण में संधारणीयता है या नहीं। यदि नहीं, तो असंधारणीयता के कारणों का भी पता लगाया गया था।

v. पीए के दौरान लेखापरीक्षा जांच के परिणामों को संबंधित आयुक्तों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। जहाँ कहीं भी जवाब प्राप्त हुए, उन्हें उपयुक्त रुप से रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

vi. मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट को पहली बार 13 फरवरी 2020 को सीबीडीटी को उनकी टिप्पणियों के लिए जारी गया था।

vii. सीबीडीटी के साथ 17 जून 2020 को एक एक्जिट कॉन्फ्रेंस किया था। चर्चा के परिणामों को निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

viii. सीबीडीटी/मंत्रालय के जवाबों/टिप्पणियों को शामिल करने के बाद संशोधित मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट को 08 जुलाई 2020 को मंत्रालय को दोबारा जारी किया गया था।

1.7 रिकॉर्डों को प्रस्तुत न करना

हमने अघोषित आय और किए गए परिवर्धनों सहित, 2014-15 से 2017-18 के दौरान पूरे किए गए तलाशी और जब्ती के निर्धारणों के संबंध में निर्धारिती वार डेटा के साथ-साथ समग्र डेटा प्रदान करने के लिए जून 2018 में डीजीआईटी (प्रणाली) से सम्पर्क किया। डीजीआईटी (प्रणाली) ने सूचित (अगस्त 2018) किया कि उनके पास डेटा उपलब्ध नहीं था और सीधे आयकर विभाग के जांच विंग से सम्पर्क करने का सुझाव दिया। जांच विंग ने भी वांछित प्रारूप में अपेक्षित डेटा/जानकारी प्रदान करने में अपनी असमर्थता दिखाई। डीजीआईटी (प्रणाली) के साथ-साथ जांच विंग के पास डेटा की अनुपलब्धता के मद्देनजर, लेखापरीक्षा ने विभिन्न निर्धारण प्रभारों के तहत उनके क्षेत्राधिकार में तलाश किए गए और निर्धारित किए गए निर्धारितियों के संबंध में स्थानीय पीसीआईटी (केन्द्रीय) कार्यालयों से डेटा एकत्र करके मामलों का चयन किया है।

हमने 185 चयनित समूहों के संबंध में 24,869 रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा की। रिकॉर्डों को प्रस्तुत न करना तीन प्रतिशत था जिसका विवरण **परिशिष्ट-2** में दिया गया है। विभाग द्वारा बताए गए रिकॉर्डों के प्रस्तुत नहीं करने के मुख्य कारणों में निर्धारितियों का विकेन्द्रीकरण के कारण गैर-उपलब्धता रिकॉर्ड आसानी से पता लगाने योग्य नहीं, सुनवाई के लिए विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के पास पड़े हुए रिकॉर्ड आदि थे।

1.8 आभार

हम आवश्यक रिकॉर्डों/सूचना प्रदान करने और इस निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन को सुविधाजनक बनाने में आयकर विभाग (विभाग) के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते है।

1.9 लेखापरीक्षा परिणाम

हमने निष्पादन लेखापरीक्षा[1] के दौरान ₹1,71,503.78 करोड़ की निर्धारण की गई आय वाले 24,869 निर्धारण रिकॉर्डों की जांच की। हमने अधिनियम में प्रावधानों के अभाव, आयकर प्रावधानों का अननुपालन, तलाशी निर्धारितियों

---

[1] सीबीडीटी ने क्षेत्रीय लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद अक्टूबर 2019 में सूचित किया कि 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान पूरे किए गए तलाशी निर्धारणों की कुल संख्या 1,37,197 थी।

का गैर-केन्द्रीकरण, परिवर्धन करने में एकरूपता का न होना, तलाशी निर्धारणों के दौरान मूल्यांकन रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों का कार्यान्वयन न करना और शास्ति का गैर-उद्ग्रहण आदि से संबंधित ₹4,150.02 करोड़ के कर प्रभाव वाली 1,659 टिप्पणियां जारी की। इसके आलावा, हमने तलाशी निर्धारणों के दौरान किए गए परिवर्धनों की संधारणीयता का विश्लेषण भी किया। चूंकि केवल नमूना मामलों की लेखापरीक्षा में ₹4,150.02 करोड़ की त्रुटियों को पाया गया हैं, इसलिए विभाग को शेष मामलों की आंतरिक रूप से लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता है। विभाग को ऐसी त्रुटियों के लिए कारणों का पता लगाने और पहचाने गए प्रणालीबद्ध दोषों को ठीक करने की कोशिश करने की भी आवश्यकता है। जिम्मेदारी भी तय करने की आवश्यकता है जहां भूल चूक के कार्य के रूप में त्रुटियां हुई हैं। लेखापरीक्षा परिणामों की आगामी अध्यायों में विस्तार से चर्चा की गई है।

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, हमने तलाशी और जब्ती अभियानों की प्रभावकारिता पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर सीएजी की 2006 की रिपोर्ट संख्या 7 में शामिल किए गए लेखापरीक्षा परिणामों और लेखापरीक्षा सिफारिशों के कार्यान्वयन का भी अनुवर्तन किया। हमने पाया कि अपीलीय चरण पर परिवर्धनों की कम संधारणीयता, अघोषित आय के निर्धारण करने के लिए प्रभावी तरीके से अधिनियम की धारा 132(4) के तहत दर्ज किए गए बयानों का उपयोग न करना, अधिनियम की धारा 153ए/153सी के तहत नोटिस जारी करने के लिए समय सीमा आदि से संबंधित पहले से ही इंगित किए गए मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। इसे आगामी अध्यायों में उपयुक्त स्थानों पर उचित रूप से शामिल किया गया है।

अध्याय : 2 निर्धारणों में प्रणालीगत कमियां और निर्धारण करने में अधिनियम/नियमों/परिपत्रों के मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन की सीमा

2.1 इस अध्याय में, लेखापरीक्षा ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि क्या सभी संबंधित निर्धारितियों को समाविष्ट करने वाले तलाशी किए गए समूहों के निर्धारण और तलाशी और जब्ती मामलों से संबंधित निर्धारणों के संबंध में अपीलीय चरण में समूह मामलों में किए गए परिवर्धनों की संधारणीयता से संबंधित कोई प्रणालीगत कमियां थीं। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह भी जांच की कि क्या विभाग ने निर्धारणों को पूरा करने में अधिनियम/नियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया था।

2.2 नीचे दिए गए फ्लो चार्ट में तलाशी और जब्ती अभियानों की प्रक्रिया और केन्द्रीय सर्किलों द्वारा अपनाई जाने वाली क्रियाविधि के साथ-साथ बाद की अपील प्रक्रिया को दर्शाया गया है:

चार्ट संख्या 1 आयकर विभाग में तलाशी और जब्ती अभियान

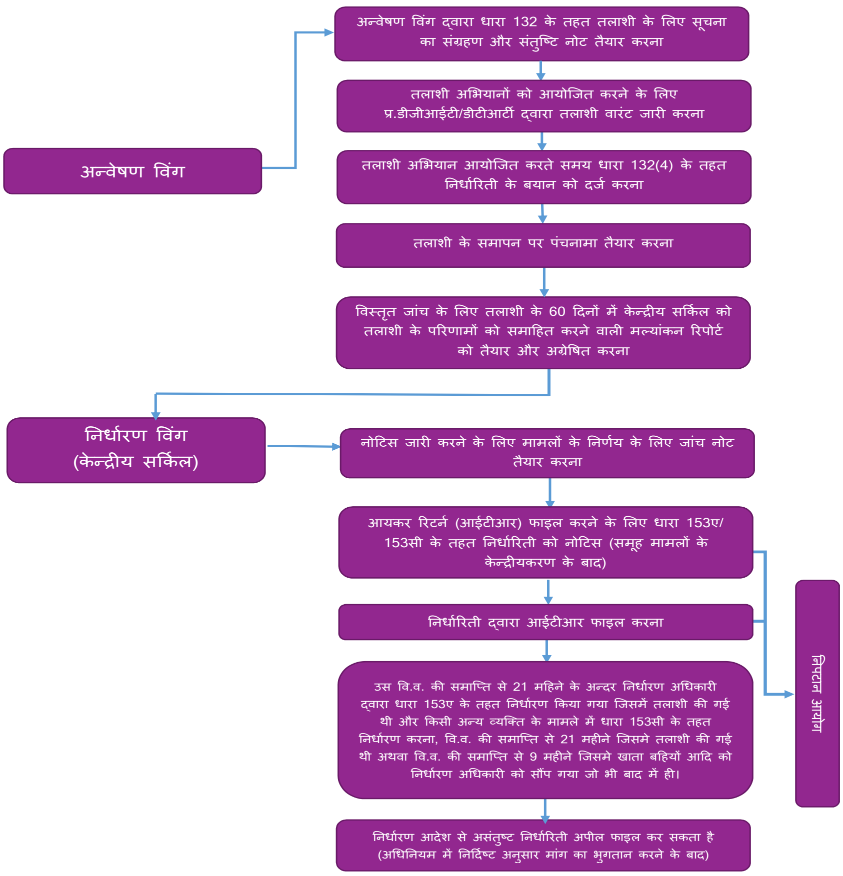

नोट: निर्धारिती जहां अधिनियम की धारा 153ए/153सी के तहत निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाही शुरू की गई है, अधिनियम में निर्दिष्ट कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद निपटान आयोग में जा सकता है।

2.3 प्रणालीगत कमियां और प्रावधानों का अनुपालन

तलाशी निर्धारणों के संबंध में रिकॉर्डों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने तलाशी और जब्ती से संबंधित प्रावधानों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता, मामलों का केन्द्रीयकरण, निर्धारणों के दौरान किए परिवर्धनों में एकरूपता का अभाव, सीबीडीटी के निर्देशों/आदेशों का अननुपालन, तलाशी/तलाशी के पहले की अवधि में कवर किए गए संगत निर्धारण वर्ष के गैर-निर्धारण के कारण आय का छूट जाना, निर्दिष्ट समय सीमा में निर्धारणों को पूरा न करना, शास्ति का गैर-उद्ग्रहण, तलाशी और जब्ती के अलावा प्रावधानों के अनुपालन की सीमा और नीचे तालिका में दिए गए अन्य मुद्दों से संबंधित ₹3,729.28 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 1291 अभ्युक्तियों को देखा गया। हमने अपीलीय चरण/निपटान आयोग में परिवर्धनों की संधारणीयता से संबंधित डेटा का भी विश्लेषण किया। इस संबंध में विस्तृत लेखापरीक्षा परिणामों की आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है। नीचे दी गई तालिका लेखापरीक्षा परिणामों का एक संख्यात्मक अवलोकन देती है।

तालिका सं. 2: प्रणालीगत कमियों से संबंधित अभ्युक्तियां और अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

अभ्युक्तियों की प्रकृति	मामलों की संख्या	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
तलाशी और जब्ती से संबंधित प्रावधानों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता	147	135.82
तलाशी समूहों/निर्धारितियों के निर्धारणों का केन्द्रीकरण	386	0
निर्धारणों के दौरान किए गए परिवर्धनों में एकरूपता का अभाव	78	916.83
सीबीडीटी के निर्देशों/आदेशों का अननुपालन	85	134.19
तलाशी/तलाशी की पूर्व अवधि में कवर किए गए संगत निर्धारण वर्ष के गैर-निर्धारण के कारण आय का छूट जाना	10	2.80
निर्दिष्ट समय में निर्धारणों को पूरा न करना	1	0
शास्ति का गैर-उद्ग्रहण	145	976.54
तलाशी और जब्ती के अलावा प्रावधानों के अनुपालन की सीमा	369	1532.44
अन्य मुद्दे	70	30.66
कुल	**1291**	**3729.28**

2.4 तलाशी और जब्ती से संबंधित प्रावधानों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता

सीबीडीटी द्वारा जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों और निर्देशों के साथ पठित अधिनियम में निर्धारितियों द्वारा अपनाई जाने वाली व्यय, कटौतियों की स्वीकार्यता की शर्तों का प्रावधान किया गया। निर्धारण अधिकारी से निर्धारण कार्यवाहियों या अन्य संगत विभागीय कार्यवाहियों के दौरान तत्संबंधी अनुपालन को सत्यापित करने की अपेक्षा की गई थी। तलाशी और जब्ती की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने अधिनियम में कुछ प्रावधानों के अभाव/अपर्याप्ता को पाया जिसने निर्धारिती को अनुचित लाभ लेने की अनुमति दी और निर्धारणों की गुणवत्ता को भी प्रभावित किया।

हमने ₹135.82 करोड़ के कर प्रभाव वाले आठ राज्यों[2] में 147 मामलों को देखा जहां तलाशी निर्धारणों के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों में त्रुटियां/कमियां थी। ये कमियां मुख्य रूप से अघोषित आय के खिलाफ हानि का समायोजन/अग्रेनित, अधिनियम की धारा 153ए/153सी के तहत नोटिस जारी करने के लिए समय सीमा, फर्जी लेनदेनों से संबंधित पूंजीगत नुकसान की रोक के संबंध में विशेष प्रावधानों के अभाव से संबंधित हैं।

उपर्युक्त कमियों/त्रुटियों से संबंधित मामलों की आगामी पैराग्राफों में विस्तार से चर्चा की गई है।

2.4.1 हानि के प्रति अघोषित आय के समायोजन/अग्रेनित

जून 2003 से पहले अधिनियम की धारा 158बीए (2) के तहत अघोषित आय का निर्धारण किया जाता था। अधिनियम की धारा 158बीए(2) के स्पष्टीकरण में प्रावधान किया था कि (क) इस धारा के तहत किए गए निर्धारण ब्लॉक अवधि में शामिल किए गए प्रत्येक पिछले वर्ष के संबंध में नियमित निर्धारण के अतिरिक्त होगा; (ख) ब्लॉक अवधि से संबंधित कुल अघोषित आय को ऐसी ब्लॉक अवधि की आय के रूप में किसी नियमित निर्धारण में निर्धारित आय में शामिल नहीं किया जाएगा; (ग) ब्लॉक निर्धारण में निर्धारित की गई आय को ब्लॉक अवधि में शामिल किए गए किसी पिछले वर्ष के नियमित निर्धारण में शामिल नहीं किया जाएगा। अघोषित आय का निर्धारण अधिनियम की संशोधित धारा 153ए/153सी के तहत जून 2003 से किया जाना है। हालांकि अधिनियम की धारा 153ए/153सी के प्रावधानों ने निर्धारिती को अघोषित आय के खिलाफ एक नियमित निर्धारण में हानि को समायोजित

---

2 आं.प्र.व तेलगांना, असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल

करने से प्रतिबंधित नहीं किया है, जैसा कि जून 2003 से पहले धारा 158बीए के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता था, जिसके कारण निर्धारिती नियमित निर्धारण में अपने हानि को अघोषित आय के साथ समायोजित करने में अनुचित लाभ ले रहा है।

इस प्रकार तलाशी और जब्ती कार्यों में पाई गई अघोषित आय के ऐसे मामलों में सरकारी खजाने में कोई राजस्व नहीं जोड़ा जो तलाशी और जब्ती कार्यों के उद्देश्य को पराजित करता है।

हमने छः राज्यों[3] में 42 मामलों को देखा, जहां अधिनियम की संशोधित धारा 153ए/153सी में अघोषित आय के प्रति नियमित निर्धारण की हानि के समंजन को प्रतिबंधित करने के विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, निर्धारण अधिकारी ने तलाशी के दौरान पाई गई अघोषित आय के प्रति नियमित निर्धारण की हानि को समंजन/समायोजन करने की अनुमति दी। परिणामस्वरूप, ₹ 130.32 करोड़ का कर नहीं लगाया जा सका। नीचे तीन मामलों के उदहारण दिए गए है:

- महाराष्ट्र में प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), पुणे प्रभार में, एक समूह की एक कंपनी के मामले में एक तलाशी सितंबर 2015 में की गई थी और नि. वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिए अगस्त 2018 में अधिनियम 153ए के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण पूरा किया गया था। निर्धारण अधिकारी ने अघोषित आय के कारण ₹ 399.71 करोड़ का संवर्धन किया और साथ ही इस अघोषित आय के प्रति ₹ 277.32 करोड़ की हानि का समायोजन भी अनुमत किया था। इस प्रकार, अघोषित आय के प्रति पिछले/पूर्व वर्षों की हानि के समंजन की अनुमति नहीं देने के प्रावधान के अभाव के कारण, ₹ 83.20 करोड़ का कर नहीं लगाया जा सका।

- पश्चिम बंगाल में, प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता प्रभार में, एक समूह की एक कंपनी के मामले में एक तलाशी मार्च 2015 में की गई थी। तलाशी के दौरान, निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 132(4) के अंतर्गत नि. वर्ष 2015-16 के लिए कोयला गतिविधि प्रतिरक्षा से नकदी में ₹ 10.85 करोड़ की आय का प्रकटन किया। यह प्रकटन उस वर्ष के पी एंड एल लेखा में शीर्ष विविध आय के अंतर्गत दिखाया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने ₹ 10.85 करोड़ की घोषित अनुमानित आय को समायोजित करने के बाद ₹ 56.07 करोड़ की हानि

---

[3] असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल

पर आय की रिटर्न फाइल की। निर्धारण अधिकारी ने ₹ 8.16 करोड़ के मूल्यह्रास को अननुमत करने के बाद ₹ 47.91 करोड़ की कुल हानि को निर्धारित करते हुए मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप दिया। इस प्रकार, अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 10.85 करोड़ की अघोषित आय के प्रति हानि के समंजन की अनुमति दी। परिणामस्वरूप, अघोषित आय पर ₹ 3.52 करोड़ का कर नहीं लगाया जा सका।

- पश्चिम बंगाल, पीसीआईटी केन्द्रीय-2, कोलकाता प्रभार में, एक समूह की एक कंपनी के मामले में एक तलाशी मार्च 2015 में की गई थी। तलाशी के दौरान निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 132 (4) के अंतर्गत शपथ पर ₹ 25.13 करोड़ की आय का प्रकटन किया।यह प्रकटन वर्ष 2015 के लिए पी एंड एल लेखा में शीर्ष राजस्व संचालन के अंतर्गत दिखाया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने ₹ 5.85 करोड़ की हानि का समायोजन करने और ₹ 19.28 करोड़ की कटौती के बाद शून्य पर रिटर्न को फाइल किया। निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, दिसंबर 2016 में अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए इसकी अनुमति दी और अघोषित आय पर ₹ 8.29 करोड़ का कर नहीं लगाया जा सका।

इस प्रकार, तलाशी अभियान में पता लगाई गई आय के प्रति हानि के समंजन की अनुमति नहीं देने के लिए विशिष्ट प्रावधान के अभाव में राजस्व की हानि हुई।

इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि सीबीडीटी तलाशी और जब्ती के दौरान पाई गई अघोषित आय के प्रति नियमित निर्धारण में निर्धारित की गई पिछले वर्षों/पूर्व वर्षों की हानि के समंजन की अनुमति नहीं देने के लिए उपयुक्त प्रावधान लाए।

सीबीडीटी ने कहा (जून 2020) कि सीएजी की अभियुक्ति पहले से ही कानून में समाविष्ट है जिसके कारण आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

सीबीडीटी फर्जी क्रय और बढ़े हुए इनवाइस आदि के सम्बंध में मौजूदा प्रावधानों की पर्याप्तता की जाँच करें क्योंकि इनसे अघोषित आय मौजूदा प्रावधानों के दायरे में नहीं आती है।

2.4.2 अधिनियम की धारा 153ए/153सीके अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए निर्धारित समय सीमा का अभाव

अधिनियम की धारा 153ए/153सीके अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए अधिनियम में कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं है। हालांकि, अधिनियम की धारा 153बी यह प्रावधान करती है कि निर्धारण अधिकारी उस वित्तीय वर्ष के अंत से दो साल[4] की अवधि के अन्दर निर्धारण का एक आदेश पारित करेगा, जिसमें तलाशी के लिए अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था।

धारा 158बीडी के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए समय सीमा के गैर-विनिर्देशन का मामला सीएजी की 2006 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 7 में बताई गई थी, लेकिन अधिनियम की संशोधित धारा 153ए/153सी में भी इसका निपटान नहीं किया गया था।

हमने तीन राज्यों[5] में 98 मामलों में देखा कि जहां निर्धारण अधिकारी ने उस पिछले वर्ष के अंत से पांच महीने से 21 महीने तक की अवधि के बाद निर्धारिती के लिए अधिनियम की धारा 153ए/153सी के अंतर्गत नोटिस जारी किए थे जिसमें तलाशी की गई थी। इसके अलावा, 98 मामलों में से दो में, अधिनियम की धारा 153सी के अंतर्गत नोटिस, निर्धारण पूरा होने की दिनांक से केवल चार दिन पहले जारी किया गया था। इस प्रकार नोटिस जारी करने में काफी देरी हुई। परिणामस्वरूप, निर्धारण पूरा करने के लिए बचा हुआ समय तलाशी अभियानों के दौरान बताए गए सभी मुद्दों की गहन परीक्षा के लिए पर्याप्त नहीं था और मानव गलतियों का जोखिम भी था, जो अंततः तलाशी निर्धारण की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता था।

हमने पुनरावृत्ति की हैं कि सीबीडीटी अधिनियम की संशोधित धारा 153ए/153सी के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए समय सीमा लागू करे।

सीबीडीटी ने कहा (जून 2020) कि इस मुद्दे की जांच टीपीएल डिवीजन द्वारा की जाएगी।

2.4.3 फर्जी लेन-देन से संबंधित पूंजी हानि की अननुमति के प्रावधान का अभाव

अधिनियम की धारा 74 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी निर्धारण वर्ष में, शीर्ष 'पूंजी लाभ' के अंतर्गत गणना के निवल परिणाम से

---

4 01.04.2017 से 21 महीने

5 ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल

निर्धारिती को हानि होती है, तो पूरी हानि समंजन के लिए आगामी निर्धारण के लिए अग्रेनीत की जाएगी। हालांकि, फर्जी लेनदेन से संबंधित पूंजी हानि को रोकने के बारे में अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

कर अपवंचन के लिए, फर्जी बिल लेखा बहियों में बढ़ाये गए खर्चों को दिखाने के लिए तैयार किए जाते हैं। इसमें तथाकथित बिल मास्टर्स से फर्जी/बढ़ाये गए बीजक प्राप्त करना शामिल है, जो नकली वाउचर बनाते हैं और सुविधा के लिए मामूली कमीशन लेते हैं। हमने सीएजी की 2017 की रिपोर्ट सं. 2 में "शैल कंपनियों/हवाला संचालको द्वारा काल्पनिक विक्रय/क्रय" पर विस्तृत पैरा के रूप में ऐसे मुद्दों को उजागर किया था। हालांकि मंत्रालय ने निदर्शी मामलों के संबंध में सुधारात्मक कार्यवाही की है, लेकिन भविष्य में इस तरह की चूकों की पुन: आवर्तिता को रोकने के लिए तंत्र विकसित करना अभी बाकी है।

हमने महाराष्ट्र में सात मामलों को देखा, जहां निर्धारण अधिकारी ने ₹ 5.50 करोड़ के कर वाले नकली लेनदेन पर उत्पन्न पूंजीगत हानि को अग्रेनीत करने की अनुमति दी। नीचे एक मामले का उदहारण दिया गया है:

• महाराष्ट्र, प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-II, मुंबई प्रभार में, एक समूह की एक कंपनी के मामले में एक तलाशी अगस्त 2014 में की गई थी और अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के अंतर्गत दिसंबर 2016 में शून्य आय का निर्धारण पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने ₹ 87.40 लाख के लिए किसी अन्य कंपनी के शेयरों की बिक्री पर ₹ 3.73 करोड़ की पूंजी हानि के अग्रेनीत करने का दावा किया, जो कि नि. वर्ष 2012-13 में ₹ 4.6 करोड़ के लिए अधिग्रहित किए गए। विभाग ने इस लेन-देन को नकली माना था और नि. वर्ष 2012-13 के निर्धारण में उसको अस्वीकार कर दिया था जिसमें कहा गया था कि निर्धारिती एक पेपर संस्था थी। चूँकि विभाग ने स्वयं इस लेनदेन को नकली माना था, ऐसे शेयरों की बिक्री पर उत्पन्न ₹ 3.73 करोड़ की पूंजीगत हानि को भी नकली माना जाना चाहिए था और पूंजीगत हानि को अग्रेनीत करना अननुमत किया जाना चाहिए था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 80.59 लाख के संभावित कर सहित पूँजी की हानि को अग्रेनीत करने का गलत दावा हुआ।

विभाग ने कहा (अगस्त 2019) कि चूँकि कुल आय का निर्धारण शून्य में किया गया है, आय के किसी भी शीर्ष के अंतर्गत कोई हानि उपलब्ध नहीं है जिसे अग्रेनीत करने के उद्देश्य से माना जाए। एक बार कुल आय का निर्धारण शून्य पर किए जाने के बाद निर्धारिती द्वारा दावा की गई पूंजी हानि को अननुमत कर दिया गया था। विभाग का उत्तर इस आधार पर स्वीकार्य नहीं

है कि निर्धारिती द्वारा दावा की गयी हानि को अग्रेनीत करने की अनुमति या गैर अनुमति के बारे में निर्धारण आदेश में निर्धारण अधिकारी की कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं है। निर्धारण आदेश स्पष्ट होना चाहिए और स्वीकार्य या गैर-स्वीकार्य का इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एक अलग मामले में विभाग ने भावी संदर्भ के लिए लेखापरीक्षा अभियुक्ति को नोट किया।

इस प्रकार, काले धन/कर चोरी अपवंचन के होने की जांच करने के लिए नकली लेनदेन से संबंधित पूंजी हानि की अस्वीकृति के संदर्भ में समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है।

इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि सीबीडीटी यह जाँच करे कि ये त्रुटियाँ, चूक या जानबूझकर की गई गलतियां हैं और उस सम्बंध में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करे।

2.5 सभी संबंधित निर्धारितियों को शामिल करने वाले तलाशी समूह का केंद्रीकृत निर्धारण

सीबीडीटी अनुदेश संख्या 8, दिनांक 14 अगस्त 2002 और तलाशी और जब्ती नियमावली के पैरा संख्या 6.45 से 6.48 के अनुसार, समन्वित और निरंतर जांच की सुविधा के लिए तलाशी मामलों को केंद्रीय प्रभार में केंद्रीकृत किया जाएगा। जहाँ तक संभव हो, निर्धारण समूह-वार किया जाए ताकि एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी आय का निर्धारण किसी भ्रम या संदेह के कारण अनिर्धारित नहीं रही है जिसका निर्धारण किया जाना है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, हमने देखाकि 12 राज्यों[6] में कुल 185 समूहों में से 42 समूहों के संबंध में विभाग ने निर्धारण के लिए मामलों को केंद्रीकृत नहीं किया है, जिसके कारण इन निर्धारितों से सम्बंधित मूल्यांकन रिपोर्ट में बताए गए मुद्दों को सम्बंधित नहीं किया जा सका जैसाकि नीचे तालिका में दिया गया है।

[6] असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

तालिका संख्या 3: उन मामलों का विवरण जहां निर्धारितियों का केंद्रीकरण नहीं किया गया था

क्र. सं.	राज्य	समूह की सं.	निर्धारितियों की सं. जिनका केंद्रीकरण नहीं किया गया
1.	असम	1	14
2.	बिहार	4	44
3.	दिल्ली	9	40
4.	गुजरात	2	25
5.	झारखण्ड	3	35
6.	महाराष्ट्र	14	161
7.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	1	7
8.	ओडिशा	2	7
9.	पंजाब	1	6
10.	तमिलनाडु	1	9
11.	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	1	22
12.	पश्चिम बंगाल	3	16
	कुल	**42**	**386**

नीचे तीन मामलों के उदहारण दिए गए है:

- तमिलनाडु, पीसीआईटी केन्द्रीय 2 कोयम्बटूर प्रभार में, एक समूह के मामले में एक तलाशी सितंबर 2014 में की गई थी और मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार अलेखांकित आय ₹ 68.42 करोड़ निर्धारित की गई। मूल्यांकन रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि ₹ 68.42 करोड़ की अलेखांकित आय का निर्धारण 12 व्यक्तियों में किया जाना है। हालांकि, यह देखा गया कि ₹ 3.14 करोड़ की अघोषित आय वाले 12 निर्धारितियों में से नौ निर्धारितियों को न तो निर्धारण के लिए केंद्रीकृत किया गया था और न ही अधिनियम की धारा 153सी के अंतर्गत आवश्यक क्षेत्राधिकारिक निर्धारण अधिकारियों को सूचित किया गया था। परिणामस्वरूप, तलाशी में बताए गए ₹ 3.14 करोड़ की अघोषित आय का निर्धारण नहीं किया जा सका और उसे कर में नही लाया गया।

- छत्तीसगढ़ में, प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल प्रभार में, एक समूह के मामले में एक तलाशी अक्टूबर 2012 में की गई थी। एक समूह की मूल्यांकन रिपोर्ट से देखा गया कि "छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में, लगभग 800 एकड़ से अधिक की जमीन लगभग ₹ 0.50 लाख/एकड़ की

दर से व्यक्तिगत नाम पर क्रय गई थी और दो साल के अन्दर ही समूह प्रतिष्ठान की एक कंपनी को ₹ 20 लाख प्रति एकड़ से अधिक की दर से हस्तांतरित की गयी है। कंपनी की क्रय कीमत व्यक्तिगत भुगतान किए गए क्रय कीमत का लगभग 40 गुना है। एओ को इस मुद्दे की पूछताछ करने और जांच करने की सलाह दी गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारण के लिए मामला केंद्रीकृत नहीं था। निर्धारण अधिकारी ने कंपनी के प्रति अधिनियम की धारा 153सी/147 के अंतर्गत कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। परिणामस्वरूप, निर्धारिती के ₹ 160 करोड़ (800 एकड़ x 20 लाख) के निवेश की सही मायने में पुष्टि नहीं की जा सकी।

विभाग ने कहा (जून 2019) कि मूल्यांकन रिपोर्ट और निर्धारण अधिकारी के दायित्व का दायरा तलाशी के निष्कर्षों तक सीमित है। इसके अलावा, सुझाव, यदि कोई हो, कार्रवाई के लिए उपयुक्त माना जाता है निर्धारण अधिकारी के दायरे में हैं। बिना किसी दस्तावेज़ के जानकारी के अंतरित होने से निर्धारण अधिकारी को कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला और न ही जब्त किया गया जो आय के अपवंचन पर प्रकाश डालते हैं।

विभाग का उत्तर सीबीडीटी के निर्देश सं. एफ.सं..286/161/2006-आईटी (इनव.II) दिनांक 22 दिसंबर 2006 के मद्देनज़र मान्य नहीं है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि निर्धारण अधिकारी, मूल्यांकन रिपोर्ट में निकाले गए किसी परिणाम/निष्कर्ष से सहमत नहीं है, तो मामले को उच्चतम प्रमुख के संज्ञान में लाया जाना चाहिए, और संबंधित अति./संयु. डीआईटी (इनव.I) के साथ निपटान करना चाहिए। यदि आवश्यक माना जाता है, तो सीआईटी (केन्द्रीय), डीआईटी (इनव.I) के साथ भी मुद्दे का निपटान कर सकता है।

- महाराष्ट्र, प्र. सीआईटी (कें.)-3, मुंबई प्रभार में, एक समूह के मामले में एक तलाशी सितंबर 2013 और नवंबर 2013 के बीच की गई थी। तलाशी के बाद समूह के मामलों को उप-सीआईटी, सेंट्रल सर्कल 5 (1), मुंबई में केंद्रीकृत किया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि तलाशी के दौरान पता चले ₹ 63.09 करोड़ के धन मूल्य से जुड़े 11 मामलों को निर्धारण के लिए केंद्रीयकरण नहीं किया गया था, हालांकि मूल्यांकन रिपोर्ट में इन मामलों के केंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा आवश्यक प्रक्रिया के अनुसार निर्धारण के लिए इन मामलों के संबंध में अपेक्षित जानकारी को संबंधित क्षेत्राधिकारिक निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करने का कोई सबूत नहीं मिला। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा

उपलब्ध अभिलेखों से यह पता नहीं लगा सका कि क्या इन मामलों में उनके संबंधित प्रभारों में निर्धारण किया गया था और मूल्यांकन रिपोर्ट में वर्णित मुद्दों को संबोधित किया गया था। इन मामलों के गैर-केंद्रीकरण के कारणों को लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, सेंट्रल सर्कल में तलाशी मामलों के गैर-केंद्रीकरण के कारण, अघोषित आय से संबंधित मुद्दों की गहराई से जांच और लेन-देन की क्रेडिट योग्यता आदि के बारे में मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा गया है, इसे संबोधित नहीं किया जा सका/समर्थक सक्ष्यो के साथ सत्यापित नहीं किया जा सका जो निर्धारण की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, निर्धारितियों के गैर-केंद्रीकरण के मामले में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सका कि संबंधित निर्धारितियों की सभी आय का निर्धारण किया गया था। यदि ऐसा नहीं था, तो तलाशी और जब्ती अभियानों का मूल उद्देश्य विफल हो जाता। इसके अलावा, गैर-केंद्रीकरण के मामले में, विभाग के लिए यह सुनिश्चित करना कठिन है कि तलाश किये गए निर्धारिती की सभी आय का निर्धारण किया गया है और कर में लाया गया है।

इसलिए, हम यह सिफारिश करते हैं कि आयकर विभाग केन्द्रीय मंडल में सभी तलाशी मामलों में केन्द्रीयकरण के संबंध में सीबीडीटी के मौजूदा निर्देशों की अनुपालना की निगरानी के लिए तंत्र को मजबूत करे, ताकि मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लिखित सभी मुद्दों का समाधान किया जा सके और निर्धारण को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

सीबीडीटी ने बताया (जून 2020) कि केन्द्रीयकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजस्व की किसी हानि को रोकने के लिए और उचित निर्धारण को सुगम बनाने के लिए समूह तलाशी के साथ सीधे जुड़े सभी मामलों का एक स्थान पर निर्धारण किया गया है। लेकिन इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं कि संबंधित पक्षों को भी केन्द्रीकृत किया जाना है।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि जहां एक विशिष्ट निर्धारिती से संबंधित मुद्दे मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लिखित हुए हैं, उसको केंद्रीयकृत किया जाए और निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उनका निर्धारण नाम/ पहचान रहित तरीके से होना चाहिए जहाँ पर निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी एक दूसरे की पहचान के बारे में नहीं जानते हों।

2.6 अपीलीय चरण पर समूह मामलों के किए गए परिवर्धन की संधारणीयता

2.6.1 अपीलीय चरण पर संधारणीयता

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2006 की रिपोर्ट संख्या 7 में अपीलीय चरण पर तलाशी निर्धारण में किए गए परिवर्धन के संधारणीयता का कम प्रतिशत से संबंधित मुद्दा भी उजागर किया गया था।

वर्तमान प्रदर्शन लेखापरीक्षा के दौरान, हमने यह देखा कि 185 समूहों में से 84 समूहों ने निर्धारण आदेशों में किए गए परिवर्धन के विरूद्ध विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी थी। लेखापरीक्षा में यह पता चला कि निर्धारण में किए गए 76.5 प्रतिशत परिवर्धन, अपील में न्यायिक जाँच (सीआईटी (ए)/आईटीएटी) में ठहर नहीं पाए। इसके अलावा, 19 समूहों में अपीलीय चरण पर असंधारणीयता 100 प्रतिशत थी। अपीलीय आदेशों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह पता चला कि अपीलीय चरण पर परिवर्धन को हटाने के प्रमुख कारण निम्नानुसार थे:

- निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा मौजूदा निर्णयों पर विचार नहीं किया गया था।
- प्रावधानों/धाराओं, जिनके तहत परिवर्धन किए गए, का निर्धारण आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था।
- निर्धारिती के विरूद्ध इस्तेमाल में लाए गए तलाशी अभियान के दौरान अधिनियम की धारा 132(4) के तहत शपथ के रूप में दर्ज किए गए निर्धारिती के बयान की विषय वस्तु को न तो निर्धारिती की प्रदान किया गया और न ही निर्धारण आदेश में पुन: प्रस्तुत किया गया है जो अनियमित है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है।
- तलाशी के दौरान पाए गए सभी दस्तावेज लेन-देन से संबंधित थे, जो निर्धारिती द्वारा पहले से ही उजागर किए गए थे।
- परिवर्धन, जब्त दस्तावेजों/कागजात के बजाय धारणाओं पर आधारित थे।
- अघोषित आय में परिवर्धन, संबंधित निर्धारण वर्ष के बजाय किसी अन्य निर्धारण वर्ष में किया गया था।

185 समूहों में से 84 समूहों के संबंध में निर्धारण के दौरान किए गए कुल परिवर्धन की तुलना में अपीलीय चरण पर संधारित परिवर्धनों को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 4: निर्धारण के दौरान किए गए परिवर्धन की तुलना में अपीलीय चरण पर किए गए संधारित परिवर्धन

क्र. सं.	प्रभार का लाभ	समूह की सं.	निर्धारण चरण पर किए गए निर्धारिती के समूहों के लिए परिवर्धन (₹ करोड़ में)	सीआईटी(ए)/ आईटीएटी प्रभाव के बाद शेष परिवर्धन (₹ करोड़ में)	सीआईटी(ए)/ आईटीएटी प्रभाव के बाद संधारित परिवर्धन का प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	1	228.49	94.54	41.37
2	बिहार	4	68.01	0.04	0.1
3	छत्तीसगढ़	1	2687.59	2687.56	100
4	दिल्ली	15	11746.34	1965.80	16.70
5	गुजरात	7	2055.41	130.29	6.3
6	कर्नाटक	4	417.13	0	0
7	केरल	4	203.24	23.33	11.5
8	मध्य प्रदेश	2	166.16	111.14	66.9
9	महाराष्ट्र	10	2114.08	301.46	14.3
10	ओडिशा	4	320.49	24.25	7.6
11	राजस्थान	5	1358.50	50.96	3.8
12	तमिलनाडु	16	2225.14	246.72	11.1
13	उत्तराखंड	1	26.74	1.35	5.0
14	उत्तर प्रदेश	1	101.59	3.17	3.1
15	पश्चिम बंगाल	9	1246.79	216.79	17.39
	कुल	**84**	**24965.7**	**5857.4**	**23.46**

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि ₹ 24965.70 करोड़ के कुल परिवर्धन के प्रति अपीलीय चरण पर केवल ₹ 5857.40 करोड़ को संधारित किया गया था। अघोषित आय की कुल संधारणीयता (लगभग) 23.5 प्रतिशत थी।

₹ 19108.30 करोड़ की अघोषित आय मुख्य रूप से इन कारणों से अपीलीय चरण पर स्थिर नहीं रह पाई जैसे कि परिवर्धन, (क) तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों के आधार पर, जो पहले से ही निर्धारिती द्वारा घोषित हो चुके हैं, से संबंधित, (ख) मान्यताओं के आधार पर, (ग) संबंधित निर्धारण वर्ष की बजाय अन्य निर्धारण वर्ष में किए गए थे। इसके अलावा, प्रावधानों/धाराओं

जिनके तहत परिवर्धन किया गया था, का निर्धारण आदेश आदि में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था।

हमने यह भी देखा कि पूर्वोक्त 84 समूहों में से 19 समूहों के मामले में निर्धारण के दौरान किए गए अपीलीय चरण ₹ 1476.42 करोड़ में से संधारित परिवर्धन शून्य था जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 5: अपीलीय स्तर पर परिवर्धनों का शून्य अवलंब

क्र. सं.	प्रभार का नाम	समूहों की सं.	निर्धारण चरण पर बनाए गए समूहों के निर्धारिती के लिए परिवर्धन (₹ करोड़ में)	सीआईटी(ए)/ आईटीएटी प्रभाव के बाद शेष परिवर्धन (₹ करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	3	610.69	0
2	बिहार	3	65.42	0
3	दिल्ली	1	16.60	0
4	गुजरात	1	158.50	0
5	कर्नाटक	4	417.13	0
6	केरल	1	0.50	0
7	महाराष्ट्र	2	68.26	0
8	राजस्थान	1	65.43	0
9	तमिलनाडु	2	73.17	0
10	पश्चिम बंगाल	1	0.72	0
	कुल	**19**	**1476.42**	**0**

तलाशी निर्धारणों के दौरान किए गए परिवर्धन की कम संधारणीयता के लिए ऊपर सूचीबद्ध कारणों का विश्लेषण स्पष्ट रुप से सूचना और अपेक्षित अनुसंधान आदि के संदर्भ में तलाशी शुरु करने से पहले खराब परिश्रम को इंगित करता है। कम संधारणीयता पूरी प्रक्रिया पर संदेह भी पैदा करती है।

हम सिफारिश करते है कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि तलाशी वारंट सूचना के समुचित परिक्षण, अनुसंधान और उचित परिश्रम के बाद जारी किया जाए जो संदेह से परे हो क्योंकि तलाशी और जब्ती में निर्धारिती और उनके परिवारों का बहुत उत्पीड़न शामिल है। न्यायिक निकाय की भूमिका की संभावना भी तलाश की जाए। सीबीडीटी कम संधारणीयता के कारणों का विश्लेषण करे और सम्बंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करे।

2.6.2 शपथ में निर्धारिती द्वारा दिए गए बयान के आधार पर किए गए परिवर्धन की संघारणीयता

अधिनियम की धारा 132(4) के तहत तलाशी के दौरान और बाद में निर्धारिती का बयान दर्ज किया जाता है। इस प्रकार दर्ज किया गया बयान मजबूत साक्ष्य मूल्य का है और तलाशी लिए गए व्यक्ति पर बाध्यकारी है, जब तक कि वैध आधार पर वापस नहीं लिया जाता। बयानों को वापस लेने की अनुमति तभी होती है जब एक उचित समयावधि के भीतर हो और यह सिद्ध करने के लिए सबूत की जिम्मेदारी रिट्रैक्टर की है, कि बयानों को किसी अनुचित प्रभाव या बल प्रयोग में दर्ज किया गया था।

लेखापरीक्षा में पता चला कि बिहार, मध्य प्रदेश और ओड़िशा प्रभार के चार समूहों में अधिनियम की धारा 132(4) के तहत दर्ज बयान के आधार पर ₹ 26.42 करोड़ का परिवर्धन किया गया था जबकि केवल ₹ 4.13 करोड़ (15.6 प्रतिशत) अपीलीय चरण पर संधारित थे जैसाकि नीचे की तालिका में दिए गए हैं:

तालिका सं. 6: शपथ पर निर्धारिती द्वारा दिए गए बयान के आधार पर किए गए परिवर्धन की संधारणीयता

क्र. सं.	प्रभार का नाम	समूह की सं.	धारा 132(4) के तहत दर्ज बयान के आधार पर निर्धारण चरण पर निर्धारिती के बनाए गए समूह के लिए परिवर्धन (₹ लाख में)	सीआईटी(ए)/ आईटीएटी प्रभाव के बाद शेष परिवर्धन (₹ लाख में)
1	बिहार	2	2073	4
2	मध्य प्रदेश	1	409	409
3	ओडिशा	1	160	0
कुल		**4**	**2642**	**413**

2.7 तलाशी निर्धारण के दौरान परिवर्धन करने/निर्धारित आय को अपनाने/ संशोधित आय में एकरूपता की कमी

हमने आठ राज्यों के 78 मामलों को देखा, जहां निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप प्रदान करते समय फर्जी खरीद, समायोजन प्रविष्टियों और निर्धारित आय/संशोधित आय अपनाने के आधार पर परिवर्धन करने में एकसमान रूख नहीं अपनाया। उचित कारणों के बिना ही समान परिस्थितियों के तहत या तो इकमुश्त राशि के आधार पर या अलग-अलग प्रतिशत, जिसकी रेंज पांच प्रतिशत से 50 प्रतिशत थी, पर मन-माने ढंग से परिवर्धन किया गया जिसका कर प्रभाव ₹ 916.83 करोड़ था। जिससे परिणामस्वरूप

सरकारी खजाने को हानि के साथ-साथ अपीलीय चरण पर परिवर्धन की संधारणीयता हो सकती है।

2.7.1 उचित स्पष्टीकरण के बिना इकमुश्त राशि/प्रतिशत आधार का परिवर्धन

इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारण अधिकारी को कुल आय या हानि को निर्धारित करने के लिए निर्धारण करने की और ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा देय सही कर को निर्धारित करने की आवश्यकता है। तलाशी निर्धारण के मामले में, समग्र दृष्टिकोण के साथ-साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी आय, जिसके हाथों में निर्धारित किया जाना है, किसी भी भ्रम या संदेह के कारण अनिर्धारित न रह जाए, इसे समूहवार किया जाना चाहिए।

हमने सात राज्यों[7] में अधिनियम की धारा 153ए/153सी के तहत तलाशी और जब्ती मामलों के निर्धारण के समय आर्थत उचित औचित्य के बिना इकमुश्त राशि/प्रतिशत आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धनों में विसंगति के 72 मामलें देखे। ₹ 856.03 करोड़ के कर प्रभाव के साथ तीन मामले नीचे दर्शाए गए हैं:

- प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-I, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एक ग्रुप कंपनी के मामले में नवम्बर 2011 में एक तलाशी ली गई और नि.व. 2011-12 के लिए अधिनियम की धारा 144सी के साथ पठित धारा 153ए के साथ पठित धारा 143(3) के तहत ₹ 196 करोड़ पर आय का निर्धारण करते हुए अप्रैल 2015 में निर्धारण को पूर्ण किया। लेखापरीक्षा में पता चला कि निर्धारिती अधिकारी ने निर्धारण को पूर्ण करते समय संपूर्ण फर्जी खरीद राशि की बजाय ₹ 5.18 करोड़ की तथाकथित फर्जी खरीद के 8.40 प्रतिशत की दर पर सकल लाभ अनुपात के आधार पर केवल ₹ 43.54 करोड़ का परिवर्धन किया। इस चूक के कारण ₹ 198.73 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 474.81 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। इसके अलावा, कमिश्नर (अपील) ने भी, परिवर्धन की पुष्टि करते हुए यह भी कहा कि निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया परिवर्धन केवल तथाकथित फर्जी खरीद का एक हिस्सा है, तकनीकी तौर पर निर्धारण अधिकारी पूरी राशि को अननुमत कर सकता था।

  विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया (अगस्त 2019) कि चूँकि तलाशी के साथ-साथ निर्धारण कार्यवाही के

[7] बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड

दौरान मात्रात्मक विवरण विवादित थे, इसलिए समायोजन प्रविष्टि को 100 प्रतिशत फर्जी खरीद के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि इससे बिक्री में कमी आएगी। तदनुसार इसमें शामिल लाभ के आधार पर परिवर्धन को जोड़ा गया था। साथ ही, सीआईटी(ए) की टिप्पणी केवल एक प्रासंगिक अभिवचन था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बयान तलाशी के दौरान शपथ के तहत दिए गए थे। एकत्रित साक्ष्यों ने साफ तौर पर यह प्रमाणित किया कि इन पक्षों ने, इच्छुक पक्षों को विचार/कमिशन के लिए केवल समायोजन प्रविष्टियां प्रदान की। जब इन संत्त्वों की समस्त कार्यप्रणाली केवल बुक में फर्जी और समायोजन प्रविष्टियां प्रदान करना है और वास्तव में लेन-देन का वास्तविक उद्देश्य कर से बचना और बुक में बेहिसाबी धन जमा करना है, इसलिए पता चली कथित फर्जी खरीद की पूरी राशि को जोड़ा जाना चाहिए था। इसके अलावा, सीआईटी (ए) के यह भी कहा कि निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया परिवर्धन केवल तथाकथित फर्जी खरीद का एक हिस्सा था। तकनीकी रूप से निर्धारण अधिकारी पूरी राशि को मना कर सकता था लेकिन लाभ दर के समानुपाती के रूप में केवल उसके एक हिस्से की मनाही की गई।

- प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) विशाखापट्नम प्रभार, भुवनेश्वर ने अप्रैल 2012 में एक ग्रुप के मामले में एक तलाशी ली और मार्च 2015 में निर्धारण को पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा को उक्त समूह के 40 मामलों में यह पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय फर्जी व्ययों के आधार पर परिवर्धन किया था। लेखापरीक्षा जांच में यह पता चला कि तलाशी निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन अनुमानित आधार पर पांच प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच थे, यद्यपि व्यय की प्रकृति समान थी और निर्धारण प्रभार भी समान थे।
- प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), नागपुर प्रभार, महाराष्ट्र में, एक ग्रुप के कंपनी के मामले में अगस्त 2012 में एक तलाशी ली गई और अधिनियम की धारा 153ए के साथ पठित धारा 143(3) के तहत मार्च 2016 में निर्धारण को पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने नि.व. 2007-08 से 2013-14 के लिए अपंजीकृत व्यापारी (यूआरडी) से प्रत्येक लेन-देन में बड़ी मात्रा में सोयाबीन बीजों की खरीद की थी और धारक चेक के माध्यम से भुगतान किया था। निर्धारिती ने खरीद की वास्तविकता प्रमाणित करने के लिए कोई भी दस्तावेज जैसे पैन, विक्रेता

की पहचान और पता, वैध बीजक आदि प्रस्तुत नहीं किए थे। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने बिना कोई कारण बताए निर्धारण को पूर्ण करते समय नि.व. 2007-08 से 2008-09, 2010-11 से 2012-13 के लिए 200 टन और नि.व. 2009-10 और 2013-14 के लिए 150 टन, पर थ्रेशोल्ड सीमा निर्धारित करते हुए यूआरडी से खरीद को अनुमति नहीं दी थी। जैसा कि निर्धारिती ने यूआरडी से खरीद के कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए थे, अत: यूआरडी से की गई संपूर्ण खरीद को अननुमत करने की आवश्यकता थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 240.76 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 444.53 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन में कोई एकरूपता नहीं थी कि परिवर्धन के आधार एक समान थे और कुछ मामलों में तो निर्धारण प्रभार भी समान थे। इसके अलावा, कुछ समान मामलों में परिवर्धन की अलग-अलग प्रतिशतता पर पहुँचने के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा उनके निर्धारण आदेश में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। उचित स्पष्टीकरण के अभाव में, निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन अपर्याप्त, व्यक्तिपरक और स्वैच्छिक थे और अपीलीय स्तर पर संधारित भी नहीं हो पाएंगे।

2.7.2 उन तलाशी मामलों में आय की गणना करते समय निर्धारित/संशोधित आय के आंकड़ों को अपनाने में विसंगति जहां निर्धारण को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है।

अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित 153(ए) के प्रावधानों के तहत निर्धारण अधिकारी, तलाशी के दौरान खोजी गई सामग्री के आधार पर निर्धारित अघोषित आय की असलियत को सत्यापित करने के बाद निर्धारिती की कुल आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा। हालांकि, तलाशी निर्धारण के मामले में प्रावधान में कोई स्पष्टता नहीं है कि नियमित निर्धारण के तहत पहले ही निर्धारित अधिकतम आय को शुरूआती बिन्दु के तौर पर लिया जाएगा या अधिनियम की धारा 153ए/153सी के तहत आय की गणना के लिए घोषित आय पर लिया जाएगा।

हमने तीन राज्यों[8] में छह मामले देखें जहां निर्धारण अधिकारी ने तलाशी निर्धारण को अंतिम रूप देते समय आय की गणना के लिए अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पहले से निर्धारित अधिकतम आय जैसा कि महाराष्ट्र में 14 अन्य मामलों में किया गया था की बजाय अधिनियम की धारा

[8] गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु

153ए/153सी के तहत जारी किए गए नोटिस की प्रतिक्रिया में न्यूनतम रिटर्न आय को अपनाया । इस प्रकार, विभाग ने ₹ 60.80 करोड़ के कर प्रभाव सहित तलाशी निर्धारण में गणना हेतु आय को अपनाने में एकरूप रूख नहीं अपनाया। एक मामला नीचे दर्शाया गयया है:

- प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) 2, चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, सितम्बर 2012 में एक ग्रुप की एक कंपनी के मामले में एक तलाशी ली गई। लेखापरीक्षा में यह पता चला कि नि.व. 2008-09 के लिए अधिनियम की धारा 143(3) के तहत कोलकात्ता में शेयर पूंजी और प्रीमियम से संबंधित बेहिसाबी नकद क्रेडिट के प्रति समान राशि का परिवर्धन करने के बाद ₹ 95.39 करोड़ की कुल आय को निर्धारित करते हुए निर्धारिती के मूल निर्धारण को पूर्ण किया गया। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को अधिनियम की धारा 153सी के तहत पूर्ण करते समय मार्च 2015 में, अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पहले से निर्धारित ₹ 95.39 करोड़ के बजाय शून्य पर आय की गणना की जोकि निर्धारिती द्वारा रिटर्न आय थी। दिसम्बर 2017 में सीआईटी (ए) द्वारा परिवर्धन की पुष्टि की गई। निर्धारित आय पर विचार न करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 95.39 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 57.72 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। जबकि एक कम्पनी के मामले में, प्र. सीआईटी (केन्द्रीय-2) मुम्बई प्रभार महाराष्ट्र में निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2011-12 के लिए अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के तहत निर्धारण को पूर्ण करते समय आय की गणना के लिए अधिनियम की धारा 143(3) के तहत नियमित निर्धारण में पहले से ही निर्धारित आय को अपनाया।

इस प्रकार, विभाग ने तलाशी मामलों में आय की गणना करते समय कोई तर्कसंगत दृष्टि नहीं अपनाई। विभान ने आय की गणना या तो सीआईटी (ए) के आदेश को प्रभाव देकर/अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पूर्व निर्धारित आय पर विचार करते हुए की या अधिनियम की धारा 153ए/153सी/143(1) के तहत रिटर्न आय पर की।

इसलिए, हम यह सिफारिश करते हैं कि सीबीडीटी समान स्थितियों के तहत एक ही कानून की प्रयोज्यता में व्यापक भिन्नता के कारणों की जाँच करे तथा निर्धारण करने में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक समाधान निकाले। सीबीडीटी यह भी जाँच करे कि ये त्रुटियाँ जानबूझकर या चूक से हुई हैं और उस सम्बंच में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करे।

2.8 सीबीडीटी निर्देशों/आदेशों की अननुपालना

2.8.1 उच्च न्यायालय के पास दायर अपील/मांग का स्थगन

बोर्ड के ओ.एम. सं.404/72/93-आईटीसीसी, दिनांक 29 फरवरी 2016, जिसमें अन्य बातों के साथ पैरा 4(ए) के माध्यम से यह निर्धारित किया गया था कि ऐसे मामले में जहां सीआईटी (ए) के समक्ष बकाया मांग विवादित है, वहां निर्धारण अधिकारी, विवादित मांग के 20 प्रतिशत के भुगतान पर प्रथम अपील के निपटान तक मांग के स्थगन को मंजूरी देगा।

निर्धारण अधिकारी से, अगले उच्चतर न्यायिक प्राधिकारी को अपील की वरीयता के संबंध में सीबीडीटी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का पालन करना भी अपेक्षित है।

हमने, दो राज्यों[9] में डीजीआईटी (अन्वेषण) के निर्देशों के बावजूद उच्च न्यायालय में अपील दायर न करने और अपेक्षित मांग को एकत्र किए बिना अपील को अनुमति देने जैसे सीबीडीटी निर्देशों/आदेशों की अननुपालना के 21 मामलों को पाया। मामले नीचे दर्शाए गए है:

i) प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-II, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में सितम्बर 2014 में एक ग्रुप की एक कंपनी के मामले में एक तलाशी की गई। नि.व. 2009-10 के लिए धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के तहत ₹ 237.56 करोड़ की कुल आय का निर्धारण करते हुए अक्टूबर 2016 में निर्धारण को पूर्ण किया गया और ₹ 149.71 करोड़ की मांग उठाते हुए अधिनियम की धारा 156 के तहत मांग नोटिस जारी किया गया। निर्धारिती ने निर्धारण आदेश के विरूद्ध एक अपील दायर की और मांग के स्थगन हेतु आवेदन किया लेकिन निर्धारण अधिकारी ने मूल मांग के 50 प्रतिशत पर मांग को संशोधित किया। लेखापरीक्षा जांच में यह पता चला कि विभाग ने अपील को दाखिल करने से पूर्व निर्धारिती से अपेक्षित मांग के संग्रह को सुनिश्चित नहीं किया। हालांकि, अपील की कार्यवाही जारी रही और अंतत: मांग के भुगतान की पूर्व-स्थिति की अनदेखी करते हुए निर्णय हुआ। सीआईटी (ए) के आदेश को लागू करने का आदेश भी पारित किया गया था। इस प्रकार विभाग ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मांग का संग्रह नहीं किया जिसमें बोर्ड के निर्देशों की स्पष्ट: अननुपालना का संकेत मिलता है। विभाग ने कहा कि निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती द्वारा शेष मांग के स्थगन के लिए भुगतान के रूप में मांग के भुगतान की मात्रा/हिस्से का

[9] महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल।

निर्णय लेने के लिए निर्धारिती के मामले की प्र. सीआईटी को भेजने की शक्ति प्राप्त थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारण अधिकारी ने मांग के स्थगन हेतु निर्धारिती के आवेदन पर विचार करते हुए उसकी मूल मांग के 50 प्रतिशत पर मांग को संशोधन किया था। यद्यपि निर्धारिती से मांग का संग्रहण नहीं किया गया था और अपील की कार्यवाही चालू थी जिस पर अंततः सीआईटी (ए) द्वारा निर्णय लिया गया था।

ii) पीसीआईटी केन्द्रीय-2, कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में मार्च 2014 में एक ग्रुप की एक कंपनी के मामले में एक तलाशी की गई और मार्च 2016 में नि.व. 2008-09 से 2014-15 के लिए निर्धारण (खंड निर्धारण) को पूर्ण किया गया। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान निर्धारिती की लेखा बहियों को निरस्त कर दिया और उक्त निर्धारण वर्षों के लिए अघोषित बिक्री के रूप में ₹ 109.28 करोड़ का परिवर्धन किया। निर्धारिती ने निर्धारण आदेश के विरूद्व मार्च 2016 में सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील को वरीयता दी। सीआईटी (अपील) ने निर्धारण अधिकारी द्वारा अघोषित बिक्री पर किए गए परिवर्धन को हटा दिया। इसके अलावा, आईटीएटी कोलकाता ने सीआईटी (अपील) के आदेश का समर्थन किया। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि डीजीआईटी (अन्वेषण), पश्चिम बंगाल, सिक्किम और एनईआर ने उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की मंजूरी दी। हाँलाकि, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपील के पुष्टि करने वाले कोई अभिलेख नहीं थे। इसी दौरान, नवम्बर 2017 में अपील दायर करने की सीमा समाप्त हो गई। विभाग ने यह पुष्टि नहीं की कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी या नहीं। यह दर्शाता है कि इस मामले में डीजीआईटी (अन्वेषण) के आदेश का पालन नहीं किया गया।

2.8.2 उच्च प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना अधिनियम की धारा 271(1)(सी)/271एएबी के तहत शस्ति की कार्यवाही को रोकना

अधिनियम की धारा 153डी के अनुसार, संयुक्त आयुक्त के अनुमोदन के अलावा अधिनियम की धारा 153ए/153बी में संदर्भित प्रत्येक निर्धारण वर्ष के संदर्भ में, कोई भी निर्धारण या पुन: निर्धारण आदेश, संयुक्त आयुक्त से नीचे के रैंक के किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जाएगा। सीबीडीटी ने जुलाई 1991 में अनुदेश सं. 1886 को जारी किया कि तलाशी मामलों में निर्धारण और शास्ति आदेश, संबंधित डीसीआईटी के पूर्व अनुमोदन

के बाद ही पारित होंगे। जहां पर अधिनियम की धारा 271(सी) के तहत शास्ति कार्रवाई आरंभ न करना हो या आरंभ होने के बाद हटा दिया जाना हो, ऐसा डीसीआईटी के अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा। यहां उल्लिखित करना उचित होगा कि आयकर विभाग के पुनर्गठन से पहले डीसीआईटी रेंज प्रमुख था और अब रेंज प्रमुख जेसीआईटी/अतिरिक्त सीआईटी है।

हमने आंध्र प्रदेश में 64 मामले पाए जहां निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 271(1)(सी)/271एएबी के तहत शास्ति प्रक्रियाओं को ₹ 134.19 करोड़ के राजस्व प्रभाव सहित उच्च अधिकारी की स्वीकृति के बिना छोड़ दिया था। ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

- प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश में मई 2013 में एक कम्पनी के मामले में एक तलाशी की गई तथा जनवरी 2015 में निर्धारण पूरा किया था। लेखापरीक्षा में पाया कि उच्च अधिकारी की स्वीकृति के बिना नि.व. 2008-09 से 2011-12 के लिए ₹ 17.11 करोड़ राशि की शास्ति शुरू की गई थी तथा बाद में छोड दी गई थी। इसीलिए शुरू की गई शास्ति को छोड़ने के संबंध में उच्च अधिकारी की स्वीकृति से संबंधित सीबीडीटी के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। विभाग ने कहा कि सीबीडीटी के निर्देश आयकर विभाग की पुर्न-संरचना तथा पुर्नसंगठन से पहले जारी किए गए थे। अधिनियम के अधीन धारा 274 के तहत रेंज प्रमुख के अनुमोदन द्वारा शास्ति का केवल उद्ग्रहण किया जाना है। 01 जून 2007 के पश्चात, तलाशियों के संबंध में अधिनियम की धारा 271(1)(सी) की 5ए व्याख्या लागू होगा तथा उक्त निर्देश प्रासंगिक नहीं है। अधिनियम की धारा 153डी केवल निर्धारण की पूर्णता के संबंध में अतिरिक्त सीआईटी के अनुमोदन के विषय में बताती है, जो शस्ति प्रक्रियाओं से अलग है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि तलाशी मामलों में शास्ति का उद्ग्रहण तथा छोड़ना, दोनों में ही निर्धारण अधिकारी तथा रेंज मुखिया, दोनों द्वारा तथ्य उपलब्ध, मामले की वरीयता के आधार पर निर्धारती के दावों तथा प्रस्तुतीकरण का विश्लेषण शामिल है। इसके अलावा, चूंकि वर्तमान में भी उक्त परिपत्र प्रचलन में है इसलिए, संयुक्त आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त के अनुमोदन के बिना तलाशी मामलों में शुरू की गई शास्ति को छोड़ना, निर्देशों के प्रयोजन के विपरीत है।

2.9 तलाशी में समाविष्ट किए गए/तलाशी अवधि से पहले के संबंधित निर्धारण वर्ष के गैर निर्धारण के कारण छूटी आय

अधिनियम की धारा 153ए/153सी के अनुसार, निर्धारण अधिकारी उस पिछले वर्ष से संबंधित निर्धारण वर्ष से पहले छह निर्धारण वर्षों की कुल आय का निर्धारण या पुर्ननिर्धारण करेगा, जिसमें संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी तलाशी की जाती है या इसकी मांग की जाती है।

हमने तीन राज्यों[10] में मामले पाए जहां निर्धारण अधिकारी ने ₹ 2.80 करोड़ के कर सहित तलाशी के अधीन संबंधित निर्धारण वर्षों की समाविष्ट की गई आय का निर्धारण नहीं किया। ऐसे तीन निदर्शी मामलें नीचे दिए गए है:

(i) प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय 2), चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, एक ग्रुप के एक निर्धारती, के मामलें में सितम्बर 2014 में एक तलाशी की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारण दिसम्बर 2016 में अधिनियम की धारा 153सी के साथ पठित धारा 143(3) के अधीन किया गया था। इसके अलावा, नि.व. 2014-15 के निर्धारण आदेश में पाया गया कि निर्धारती के हाथ में नि.व. 2015-16 के दौरान ₹74 लाख की अघोषित आय को कर दायरे में लाया जाना आवश्यक था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि यद्यपि अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के अधीन नि.व. 2015-16 के लिए अक्टूबर 2016 में नोटिस जारी किया था, तथापि निर्धारण को अभी तक पूरा नहीं किया गया था (अगस्त 2019)। इसलिए, ₹ 21.06 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 74 लाख की आय छूटी थी। विभाग ने कहा था (जून 2019) कि चूंकि लेखापरीक्षा अभियुक्तियां को प्रथम दृष्टतया: ठीक प्रतीत हो रही थी, अत: मामले की जांच की जाएगी तथा उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(ii) प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय-2), चेन्नई प्रभार; तमिलनाडु में, एक ग्रुप के एक व्यक्ति के मामले में अक्टूबर 2014 में अधिनियम की धारा 132 के अधीन एक तलाशी की गई थी। निर्धारती ने सहमति जताई थी कि एक कम्पनी से अघोषित आय में से एक दूसरे व्यक्ति को मई 2011 तथा नवम्बर 2011 को नकद में क्रमश: ₹ 15 लाख तक ₹ 18.71 लाख की राशि का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा ने निर्धारण रिकार्ड से पाया कि नि.व. 2012-13 के लिए धारा 153ए के अधीन अक्टूबर 2015 में जारी किया गया नोटिस वापस ले लिया गया था तथा नवम्बर 2016 में धारा 147 के अधीन कार्यवाही शुरू करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। हालांकि, कोई

[10] महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

निर्धारण नहीं किया गया था। विभाग ने कहा कि नि.व. 2012-13 के लिए कम्पनी द्वारा एक परिशोधित रिटर्न द्वारा आय के रूप में ₹ 33 लाख की आय प्रस्तुत की गई थी।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति अघोषित आय के निर्धारण के उद्देश्य के लिए पुन: आरंभ निर्धारण को पूरा करने में चूक के संबंध में है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा को इस तथ्य के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था कि कम्पनी द्वारा ₹ 33 लाख की आय प्रस्तुत की गई थी।

(iii) प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-II, मुम्बई प्रभार महाराष्ट्र में, एक ग्रुप की एक कम्पनी के मामले में दिसम्बर 2014 में एक तलाशी की गई थी तथा अधिनियम की धारा 153ए के साथ पठित धारा 143(3) के अधीन नवम्बर 2016 में नि.व. 2009-10 के लिए ₹ 1.17 लाख की हानि के निर्धारण के साथ निर्धारण पूरा किया गया। निर्धारती ने तलाशी के अधीन समाविष्ट की गई अवधि अर्थात नि.व. 2009-10 से पहले से ₹ 8.60 करोड़ का शेयर प्रीमियम प्राप्त किया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इस पर कर नहीं लगाया गया था, यद्यपि निष्कर्ष यह था कि वे कम्पनियां, जिन्होंने कम्पनी को शेयर प्रीमियम दिया था, नकली थी जो नगद के बदले में समायोजन प्रविष्टियाँ देने के लिए बनाई गई थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.58 करोड़ के न्यूनतम कर का उद्ग्रहण हुआ। विभाग ने कहा (अगस्त 2019) कि लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परीसीमा 6 पूर्व वर्षो की आय के निर्धारण या पुर्ननिर्धारण के लिए लगाई जा सकती है उससे अधिक के लिए नहीं।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पूर्व अवधि से संबंधित अघोषित आय के निर्धारण के लिए कोई एकरूपता नहीं है। प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय-2) मुम्बई प्रभार, में दूसरे निर्धारती के मामले में पूर्व अवधि से सबंधित अघोषित आय अधिनियम की धारा 147 के अधीन मामलों को पुन: आरंभ कर के निर्धारित की गई थी।

2.10 निर्दिष्ट समय-सीमा में निर्धारणों का पूरा न होना

अधिनियम की धारा 153बी(1)बी में प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी, पिछले वर्ष से संबंधित निर्धारण वर्ष जिसमें तलाशी की गई है के संबंध में निर्धारण या पुन: निर्धारण का एक आदेश बनाएगा, जिसमें उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्षों की अवधि के दौरान, जिनमें तलाशी के लिए आखिरी

प्राधिकरण का कार्यान्वयन किया गया था। इसके अलावा, ऐसे मामले में जहां आयकर निपटान आयोग के सामने रखे गए आवेदन को इसके द्वारा अस्वीकार कर दिया या आगे कार्रवाई के लिए स्वीकार नहीं किया है, निपटान आयोग के सामने किए गए एक आवेदन की तिथि पर शुरू तथा प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त आदेश की तिथि पर समाप्त अवधि पर निर्धारण पूर्ण करने की अवधि के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

हमने पजांब के एक मामले यह पाया कि निर्धारण अधिकारी ने निर्दिष्ट समय के अन्दर तलाशी निर्धारण को पूरा नहीं किया था। परिणामस्वरूप, ये निर्धारण अपील स्तर पर धारणीय नहीं हो सकते जिसके फलस्वरूप राजकोष में हानि हो सकती है, जिससे तलाशी परिचालन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मामले नीचे इर्शाया गया है:

- सीआईटी (केन्द्रीय) लुधियाना प्रभार, पंजाब में, एक समूह के मामले में 03 अप्रैल 2012 में एक तलाशी की गई। लेखापरीक्षा ने रिकार्ड से पाया कि निर्धारण को 31 मार्च 2015 तक या इससे पहले पूरा किया जाना चाहिए था। हालांकि, निर्धारण को 27 जुलाई 2016 तक अर्थात् पूर्णता की नियत तिथि से 16 महीने बाद पूरा किया गया था।

2.11 शास्ति का गैर-उद्ग्रहण

अधिनियम की धारा 271(1)(सी) की व्याख्या 5ए(ii) के अनुसार, अधिनियम की धारा 132 के अधीन शुरू की गई तलाशी के दौरान, निर्धारती ने कोई आय घोषित नहीं की थी, इससे यह समझा जाएगा कि उसने अपनी आय के विवरण को छुपाया था या आय का गलत विवरण प्रस्तुत किया था। आय के विवरण को छुपाने के कारण टाले गए कर पर @100 प्रतिशत (अधिकतम 300 प्रतिशत) की शास्ति का उद्ग्रहण करना चाहिए।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 271एएबी में प्रावधान है कि जहां अधिनियम की धारा 132 के अधीन या 1 जुलाई 2012 के बाद तलाशी शुरू की गई है, वहां निर्धारण अधिकारी शास्ति के रूप में एक राशि का भुगतान करने का निर्देश देगा जो निर्दिष्ट पिछले वर्ष की अघोषित आय के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा तथा 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, यदि इसे कर के परिवर्धन में, खड़ (ए) तथा (बी) के प्रावधानों द्वारा कवर नहीं किया गया है।

हमने 12 राज्यों[11] में 145 ऐसे मामले पाए, जहां निर्धारण अधिकारी ने तलाशी निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, ₹ 976.54 करोड़ की शास्ति का उद्ग्रहण नहीं किया, यद्यपि इसका उद्ग्रहण किया जाना था। ऐसे तीन निदर्शी मामले नीचे दिए गए है:

i) प्रधान सीआईटी(सी), हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश में, मार्च 2012 में एक निर्धारती के मामले में एक तलाशी की गई थी तथा मार्च 2015 में निर्धारण पूरा किया गया था। तलाशी परिचालनों के दौरान यह पाया गया था कि निर्धारती व्यय को बढ़ाकर आय के उपशमन में शामिल था। इसके अलावा, निर्धारती ने तलाशी के दौरान अधिनियम की धारा 132(4) के अधीन शपथ पर अघोषित आय को भी स्वीकार किया था जिसे अधिनियम की धारा 153ए के अधीन फाइल किए गए आय रिटर्न में घोषित नहीं किया था। विभाग ने अघोषित आय के संबंध में साक्ष्य एकत्र किए। तथापि, पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद, विभाग द्वारा नि.व. 2012-13 के लिए अधिनियम की धारा 271एएबी के अधीन ₹ 1.63 करोड़ (30 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर) की शास्ति का उद्ग्रहण नहीं किया गया था।

   विभाग ने कहा (जुलाई 2019) चूँकि विभाग तथा निर्धारती ने आईटीएटी के समक्ष अपील की थी जो अभी तक लंबित थी, अधिनियम की धारा 271एएबी के अधीन शास्ती प्रक्रियाओं को अधिनियम की धारा 275 के अनुसार प्रास्थगन किया गया था। इसलिए, अधिनियम की धारा 271एएबी के अधीन शास्ति का उद्ग्रहण न होने का प्रश्न इस स्तर पर उत्पन्न नहीं होता। इसका निर्णय आईटीएटी आदेश की प्राप्ति पर लिया जाएगा।

   विभाग का उत्तर इस आधार पर तर्कसंगत नहीं है कि दूसरे मामले में, निर्धारती ने सभी निर्धारण वर्षों की शास्ति प्राक्रियाओं के प्रति अपील की थी, परन्तु अपील के लंबित होने के पश्चात भी, नि.व. 2011-12 तथा 2013-14 के लिए शास्ति का उद्ग्रहण किया गया था। इसके अलावा, पीसीआईटी कानपुर बनाम संदीप चानदक के मामले में न्यायिक तौर पर यह माना गया है कि जब निर्धारती तलाशी के दौरान वह विवरण देता है जिसमें वह अघोषित आय को स्वीकार करता है तथा इस आय की उत्पति के तरीके उस को निर्दिष्ट करता है, तो अधिनियम की धारा 271एएबी के प्रावधान स्वत: पूरे हो जाएंगें।

---

[11] आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

ii) प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-2 दिल्ली, दिल्ली में, अधिनियम की धारा 143(3) के अधीन ₹ 473.77 करोड़ की आय को निर्धारित करके एक व्यक्ति का निर्धारण मार्च 2016 में संवीक्षा के पश्चात पूरा किया गया। लेखापरीक्षा में पाया कि निर्धारण आदेश में, निर्धारण अधिकारी ने रिकोर्ड किया कि निर्धारती आय के सही तथा वास्तविक रिटर्न को फाइल करने में असफल रहा था तथा अधिनियम की धारा 271एएबी के अधीन 31 मार्च 2016 में एक शास्ति आदेश जारी किया गया था। हालांकि, इस मामले में शस्ति का उद्ग्रहण नहीं किया गया था, भले ही निर्धारती द्वारा निर्धारित कर पर की गई अपील को 18 सितम्बर 2017 में सीआईटी(ए) द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 142.13 करोड़ की न्यूनतम शास्ति का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2019) कि अधिनियम की धारा 275 के अधीन वर्णित शास्ति प्रक्रियाओं को प्रस्थगन करने का निर्णय समय पर अर्थात 31 मार्च 2019 से पहले, ले लिया गया था (वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के अन्दर, जिसमें सीआईटी(ए) के आदेश को प्रधान सीआईटी द्वारा प्राप्त किया गया हैं)।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सीआईटी(ए) ने सितम्बर 2017 में राजस्व के पक्ष में अपना आदेश पारित किया था तथा इसे सितम्बर 2017 में ही सीआईटी (केन्द्रीय)-2 द्वारा प्राप्त किया गया था तथा इसलिए शास्ति का प्रस्थगन करने के बजाय 31 मार्च 2019 को या इससे पहले उद्ग्रहण किया जाना चाहिए था।

iii) पीसीआईटी (केन्द्रीय 2) प्रभार, तमिलनाडु में एक ग्रुप की एक कम्पनी के मामले में दिसम्बर 2015 में एक तलाशी की गई थी तथा निर्धारण को दिसम्बर 2017 में पूरा किया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट में यह पाया गया था कि निर्धारिती अधिनियम की धारा 269एसएस तथा 269टी के प्रावधानों के उल्लघंन में नि.व. 2009-10 से 2016-17 के दौरान क्रमश: ₹ 5.97 करोड़ तथा 3.70 करोड़ की प्राप्तियों तथा भुगतान के नकद ऋण में शामिल था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर विभाग ने नि.व. केवल 2011-12 के लिए क्रमश: ₹ 72.92 लाख तथा ₹ 30.40 लाख की शास्ति का उद्ग्रहण किया था। शेष नि.व. 2009-10, 2010-11 तथा 2012-13, 2014-15 से 2016-17 के लिए उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार चूक के

कारण क्रमशः ₹ 5.24 करोड़ तथा ₹ 3.27 करोड़ की शास्ति का गैर-उद्ग्रहण नहीं हुआ।

2.12 तलाशी तथा जब्ती के अलावा प्रावधानों के अनुपालन की सीमा

हमने 19 राज्यों[12] में ₹ 1532.44 करोड़ के कर-प्रभाव सहित 369 मामले पायें, जहां निर्धारण अधिकारी ने तलाशी निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, अस्पष्टीकृत क्रेडिट का निर्धारण नहीं किया था, अधिनियम की धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अधीन उद्ग्रहय की बजाय सामान्य प्रावधानों पर कर उद्ग्रहित, की कम मांग की संगणना की, निर्दिष्ट दर से कम पर कर प्रभारित किया, ब्याज, अधिभार का कम उद्ग्रहण, अतिप्रभार तथा छूट दी गई आय से संबंधित व्यय को अस्वीकृत नहीं किया था, गलत न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट को स्वीकृति दी आदि। निदर्शी मामले नीचे दिए गए है:

2.12.1 आय तथा कर/ब्याज/अधिभार की गलत संगणना

अधिनियम की धारा के अधीन, निर्धारण अधिकारी को कुल आय या हानि को निर्धारित करने के लिए एक निर्धारण करना अपेक्षित है तथा इस निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा देय कर को सही प्रकार से निर्धारित करना अपेक्षित है।

(क) प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, मई 2012 में एक ग्रुप के एक व्यक्ति के एक मामले में एक तलाशी की गई। निर्धारिती दो ईकाइयों का मालिक था। निर्धारण रिकार्ड की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने अपने पूंजीगत खाते में नि.व. 2008-09 के लिए उपरोक्त दोनों ईकाईयों के लिए ₹ 55.28 करोड़ का डेबिट शेष तथा ₹ 1.16 करोड़ का क्रेडिट शेष शामिल किया था। इसके अलावा यह भी पाया गया था कि निर्धारिती ने उचित स्पष्टीकरण के बिना मामलों के समेकित विवरण में पूंजीगत खाते में ₹ 17.11 करोड़ की राशि को शामिल किया। निर्धारण अधिकारी ने, मार्च 2015 में तलाशी निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, इस पहलू का मूल्यांकन नहीं किया था। इस चूक के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234बी के अधीन ब्याज सहित ₹ 8.84 करोड़ के कर प्रभाव वाले अस्पष्टीकृत क्रेडिट का गैर-निर्धारण हुआ।

---

[12] आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

विभाग ने उत्तर दिया कि उपयुक्त नि.व. के लिए की गई तलाशी में कोई दोषपूर्ण सामग्री नहीं थी। इसके अलावा, नि.व. 2008-09 के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि समय सीमा पहले ही बाधित थी।

प्रबंधन का उत्तर इस आधार पर तर्कसंगत नहीं है कि अधिनियम की धारा 153ए के अधीन ब्लाक निर्धारण ने नि.व. 2008-09 की भी समाविष्ट किया था तथा तलाशी निर्धारण के समय पर, निर्धारण अधिकारी को ब्लाक निर्धारण के अन्तर्गत समाविष्ट किए गए सभी निर्धारण वर्षों के संबंध में निर्धारती की कुल आय का निर्धारण या पुर्ननिर्धारण करना चाहिए था।

(ख) प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-3, दिल्ली प्रभार, दिल्ली में, अक्टूबर 2012 में एक कम्पनी के मामले में तलाशी की गई तथा अधिनियम की धारा 153ए के अधीन मार्च 2016 में नि.व. 2009-10 के लिए सामान्य प्रावधानों के अधीन निर्धारित ₹ 240.53 करोड़ तथा अधिनियम की धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अधीन निर्धारित ₹ 204.25 करोड़ की आय के निर्धारण को पूरा किया। सामान्य प्रावधानों के अधीन आय पर ₹ 81.76 करोड़ का कर प्रभारित किया गया जिसको जनवरी 2017 में विशेष प्रावधानों के अधीन ₹ 23.14 करोड़ तक संशोधित किया गया था। सीआईटी(ए) आदेश को प्रभावी बनाने के लिए धारा 250 के अधीन जुलाई 2017 में एक आदेश पारित किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अधिनियम की धारा 250 के अधीन पारित आदेश को पारित करते समय निर्धारण अधिकारी ने सामान्य प्रावधानों के अधीन ₹ 4.18 करोड़ का कर प्रभारित किया। हालांकि, 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अधीन कर (₹ 23.14 करोड़) सामान्य प्रावधानों पर कर से ज्यादा था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 18.96 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। विभाग ने अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2019) तथा अधिनियम की धारा 154 के अधीन आदेश पारित कर चूक का सुधार किया।

(ग) प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, सितम्बर 2014 में एक निर्धारिती, ट्रस्ट 'ए' तथा ट्रस्ट 'बी' के पूर्व ट्रस्टी तथा ट्रस्ट 'सी' के वर्तमान ट्रस्टी के संबंध में तलाशी की गई थी। निर्धारिती ने नि.व. 2009-10 के लिए धारा 139 के अधीन आय का रिटर्न फाइल नहीं किया था। 28 अक्टूबर 2016 को अधिनियम की धारा 153सी के अधीन जारी किए गए नोटिस के उत्तर में, निर्धारती ने 23 नवम्बर 2016 को ₹ 0.56 लाख की आय को स्वीकार करते हुए आय पर रिटर्न फाइल किया

गया था। ₹ 4.56 करोड़ की आय निर्धारित करने वाले अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153सी के अधीन दिसम्बर 2016 में निर्धारण पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर मांग को संगणना करते समय ब्याज सहित ₹ 4.32 करोड़ की सही मांग के बजाय केवल ₹ 69.64 लाख पर मांग की गलत संगणना की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.62 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा धारा 154 के अधीन जून 2019 में उपचारात्मक कार्यवाही की।

(घ) प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) बैगलुरू प्रभार, कर्नाटक में, फरवरी 2015 में एक समूह की तलाशी की गई तथा दिसम्बर 2017 में निर्धारण पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि नि.व. 2013-14 के लिए निर्धारती की कर मांग की संगणना करते समय, ₹ 435.72 के अघोषित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को अधिनियम की धारा 115बीबीई के अधीन 30 प्रतिशत की लागू दर के प्रति 20 प्रतिशत की सामान्य दर पर प्रभारित किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 75.04 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(ड़) प्रधान सीआईटी केन्द्रीय-2, कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, मार्च 2016 में नि.व. 2014-15 (ब्लाक निर्धारण) के लिए एक ग्रुप की एक कम्पनी के मामले में तलाशी की गई तथा दिसम्बर 2017 में निर्धारण पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया कि ₹ 117.83 करोड़ की कर योग्य आय पर अधिभार का उद्ग्रहण 10 प्रतिशत की लागू दर के बजाय 5 प्रतिशत की दर पर किया गया था, जिससे ब्याज सहित ₹ 1.82 करोड़ के अधिभार का कम उद्ग्रहण हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा नवम्बर 2018 में अधिनियम की धारा 154 के अधीन आदेश पारित कर चूक का सुधार किया।

(च) प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) भोपाल प्रभार, छतीसगढ़ में, अक्टूबर 2012 में एक ग्रुप की एक कम्पनी की तलाशी तथा जब्ती की गई। निर्धारण अधिकारी ने ₹ 493.82 करोड़ की राशि निर्धारित कर नवम्बर 2016 में अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 153ए के अधीन नि.व. 2012-13 के लिए निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 139(1) के अधीन 30 सितम्बर 2012 को आय पर रिर्टन फाइल किया था परन्तु अधिनियम की धारा 153ए के अधीन 31 मार्च 2013 को जारी नोटिस के जवाब में रिटर्न फाइल नहीं किया

था। निर्धारण अधिकारी ने, निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, अधिनियम की धारा 234ए के अधीन ₹ 64.12 करोड़ की बजाय ₹ 50.65 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण किया। यह भी पाया गया कि अधिनियम की धारा 234बी के अधीन ₹ 87.58 करोड़ की बजाय ₹ 57.04 करोड़ ब्याज का उद्ग्रहण हुआ। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 44.61 करोड़ की सीमा तक ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।

(छ) प्रधान सीआईटी, केन्द्रीय जयपुर प्रभार, राजस्थान में, अगस्त 2015 में एक निर्धारिती के मामले में एक तलाशी की गई तथा दिसम्बर 2017 में नि.व. 2011-12 के लिए अधिनियम की धारा 153ए पठित 143(3) के तहत ₹ 667.88 लाख की आय को निर्धारित किया था। हमने पाया कि अधिनियम की धारा 234(बी)(3) के अधीन ₹ 178.72 लाख के ब्याज के उद्ग्रहण की बजाय ₹ 48.61 लाख के ब्याज को प्रभारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 130.10 लाख के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अधीन पारित आदेश से चूक का सुधार किया (जुलाई 2018)।

(ज) प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, ग्रुप की एक कम्पनी के मामले में दिसम्बर 2015 में तलाशी की गई तथा अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153सी के अधीन ₹ 411.56 करोड़ की आय निर्धारित कर दिसम्बर 2017 में निर्धारण पूरा किया गया। अधिनियम की धारा 40ए(आईए) के अधीन ₹ 338.53 करोड़ की राहत देते हुए मार्च 2019 में अधिनियम की धारा 154 के अधीन निर्धारण को सुधारा गया। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने, निर्धारण में सुधार करते हुए, ₹ 312.92 करोड़ की सही राहत के प्रति निर्धारिती को ₹ 338.53 करोड़ की राहत की गलत संगणना की। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 12.53 करोड़ के कर को शामिल करते हुए ₹ 25.61 करोड़ की अधिक छूट मिली। विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अधीन जून 2019 में त्रुटि का सुधार किया।

(झ) प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) बैंगलुरू प्रभार, कर्नाटक में, दिसम्बर 2013 में एक ग्रुप की तलाशी की गई तथा मार्च 2016 में निर्धारण पूरा किया गया। नि.व. 2014-15 के लिए मार्च 2016 में पूरे किए गए निर्धारण में यह देखा गया कि अधिनियम की धारा 14ए के साथ पठित नियम 8डी के अधीन छूट दी गई ₹ 40.83 करोड़ आय (₹ 8167.58 करोड़ के औसत निवेश पर 0.5 प्रतिशत की दर से) से संबंधित व्यय को अस्वीकृत नहीं किया गया

जिसके परिणामस्वरूप ₹ 40.83 करोड़ की आय छूट गई तथा ₹ 21.72 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

2.12.2 अनियमित कटौती की स्वीकृति

अधिनियम की धारा 80आईबी (10)[13] के प्रावधानों के अनुसार एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 31 मार्च 2008 से पहले अनुमोदित, एक प्रगतीशील उपक्रम तथा आवास परियोजना के निर्माण के मामले में कटौती की राशि, ऐसे आवास परियोजना से किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष के लाभ का शत-प्रतिशत होगी, यदि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आवास परियोजना, वित्तीय वर्ष के अन्त से पांच वर्षों के अन्दर, जहां एक आवास परियोजना 1 अप्रैल 2015 तक या उससे पहले स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई है।

प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) गुरूग्राम प्रभार, हरियाणा में, एक ग्रुप के मामलें में फरवरी 2014 में तलाशी की गई तथा मार्च 2016 में निर्धारण पूरा किया गया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने अधिभोग प्रमाण-पत्र के आधार पर आवास परियोजना के फ्लैटों की सेल के संबंध में नि.व. 2010-11 से 2013-14 के दौरान अधिनियम की धारा 80आईबी(10) के अधीन ₹ 29.58 करोड़ की कटौती का दावा किया गया था तथा उसे स्वीकृत किया गया था। यह भी पाया गया कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कोई समापन प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया था तथा इस तथ्य का मूल्यांकन रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया था परन्तु निर्धारण को समापन प्रमाण-पत्र के बिना ही पूरा किया गया था। इसलिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम की धारा 80आईबी के अधीन ₹ 29.58 करोड़ की कटौती को अस्वीकृत करना अपेक्षित था तथा सक्षम प्राधिकारी से समापन प्रमाण-पत्र को प्राप्त न करने पर इसे निर्धारिती की आय में वापस जोड़ना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 9.63 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 29.58 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

2.12.3 धारा 80आईबी के अधीन कटौती की अस्वीकार्य अनुमति

अधिनियम की धारा 80आईबी(10) के अधीन निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन आवास परियोजना विकास तथा निर्माण में नियुक्त एक उपक्रम को कटौती का प्रावधान है।

---

[13] आवास परियोजनाओं के निर्माण की पूर्णता की तिथि को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी ऐसे आवास परियोजना के संबंध में समापन प्रमाण पत्र की तिथि को जारी किया जाना चाहिए।

प्रधान सीआईटी केन्द्रीय-2 कोलकाता, पश्चित बंगाल में, मार्च 2016 में एक ग्रुप[14] की एक कम्पनी के मामले में तलाशी की गई (नि.व. 2010-11, ब्लॉक निर्धारण) तथा दिसम्बर 2017 में निर्धारण पूरा किया गया था। निर्धारती ने दो आवास परियोजनाओं के लिए अधिनियम की धारा 80आईबी के अधीन ₹ 57.47 करोड़ की कटौती का दावा किया जिसे अधिनियम की धारा 153ए के अधीन निर्धारण के दौरान स्वीकृत किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिनियम की धारा 80आईबी(10) की शर्त के उल्लंघन, दावों की जांच के लिए आवश्यक मूलभूत जानकारी तथा स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करने में निर्धारिती की असफलता के कारण नि.व. 2009-10, 2011-12 से 2013-14 में उक्त दो परियोजनाओं के लिए धारा 80आईबी के अधीन कटौती के दावे को निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार किया। परन्तु अन्य निर्धारण वर्ष में किए गए निर्धारणों के विचलन में निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2010-11 में अधिनियम की धारा 80आईबी के अधीन ₹ 57.47 करोड़ के दावे को स्वीकृत किया था। अधिनियम की धारा 80आईबी की अधीन कटौती की अस्वीकार्य अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 19.54 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 57.47 करोड़ की आय का कम उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने कहा (नवम्बर 2018) कि अधिनियम की धारा 80आईबी के अधीन कटौती के दावे की अस्वीकृती नहीं हो सकती क्योंकि अधिनियम की धारा 143(3) के अधीन पूर्ण किए गए निर्धारण में निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत नहीं की गई थी तथा धारा 153ए के अधीन निर्धारण के दौरान किसी दोषपूर्ण सामग्री के अभाव में कोई परिवर्धन नहीं किया जा सकता है। विभाग ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 80आईबी (10) के अधीन एक व्यक्ति को एक से ज्यादा ईकाई के आवंटन की शर्त को वित्त अधिनियम 2009 द्वारा शामिल किया गया था तथा यह नि.व.2010-11 में लागू नहीं है।

उत्तर इस आधार पर स्वीकार्य नहीं है कि यदि अधिनियम की धारा 80आईबी के अधीन निर्धारती कटौती के लिए पात्र नहीं था तो विभाग राजस्व की सुरक्षा के लिए अधिनियम की धारा 263 या किसी दूसरे प्रावधान के अधीन उपचारात्मक कार्यवाही कर सकता था। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय ने श्रेणीगत खडों पर अपने नोट में कहा (अधिनियम की धारा 80आईबी (10) के संशोघित वित्त के खंड 37) कि यह 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होगा तथा नि.व. 2010-11 के संबंध में उसके अनुसार लागू होगा। इसलिए, आयकर

[14] वि.व. 2017-18

विभाग का यह दावा, सही नहीं है कि संशोधन नि.व. 2010-11 से लागू नहीं थे।

2.12.4 धारा 115जेएए के अधीन एमएटी क्रेडिट का गलत अग्रेषण

अधिनियम की धारा 115जेएए(1ए) में प्रावधान है कि जहां निर्धारिती द्वारा अधिनियम की धारा 115जेबी के उपखंड, (1) के अधीन 1 अप्रैल 2006 या इसके बाद के निर्धारण वर्ष के लिए एक कम्पनी होने के नाते कर की किसी राशि का भुगतान किया गया है, वहां निर्धारिती को भुगतान किए गए कर के संबंध में क्रेडिट, इस खंड के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत होगा।

- प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-3, दिल्ली प्रभार, दिल्ली में, फरवरी 2014 में एक कंपनी के मामले में तलाशी की गई थी और नि.व. 2013-14 के लिए निर्धारिती का निर्धारण अधिनियम की धारा 153 के अंतर्गत दिसम्बर 2016 में ₹127.32 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए पूरा किया गया था। निर्धारित आय को मार्च 2018 में अधिनियम की धारा 250 के अंतर्गत अपील को प्रभावी करते हुए ₹115.15 करोड़ पर संशोधित किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि चालू वर्ष में ₹1.53 करोड़ के मेट क्रेडिट के समायोजन की अनुमति देने के बाद, निर्धारिती को ₹74.70 करोड़ की बजाय ₹90.43 करोड़ के शेष मेट क्रेडिट को अग्रेषित करने की अनुमति दी गई थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹15.73 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹15.73 करोड़ तक मेट क्रेडिट का गलत अग्रेषण हुआ।

  विभाग ने उत्तर के साथ वर्षों से मेट क्रेडिट के अग्रेषण के कार्य पत्र प्रस्तुत किए थे (सितम्बर 2019)। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग के कार्यपत्रों में नि.व. 2002-03 के बाद से मेट क्रेडिट की अनुमति दी गई है जबकि निर्धारिती ने रिटर्न में नि.व. 2006-07 के बाद की अवधि हेतु मेट क्रेडिट का दावा किया है। विभाग ने कार्यपत्रों में दर्शाए गए आकड़ों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

2.12.5 कारोबार हानि का गलत अग्रनयन

अधिनियम की धारा 72 में प्रावधान है कि, जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए, कारोबार के 'लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अंतर्गत संगणना का निवल परिणाम निर्धारिती के लिए हानि हो, जो जोखिम कारोबार में निरंतर हानि के रूप में न हो, और अधिनियम की धारा 71 के प्रावधानों के अनुसार आय के किसी शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति ऐसी हानि को समंजित न किया जा सकता हो

या पूर्ण रूप से समंजित नहीं हुई हो, उतनी हानि जो अभी समंजित न की गयी हो या जहां अन्य शीर्ष में उसकी कोई आय न हो, ऐसी पूरी हानि की, इस अध्याय के प्रावधानों के अध्यधीन, आगामी निर्धारण वर्ष अग्रेनीत किया जाएगा।

- दिल्ली, प्र. सीआईटी (केंद्रीय)-3, दिल्ली प्रभार में, एक कम्पनी के मामलें में फरवरी 2014 में एक तलाशी की गई और मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 153ए के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए निर्धारिती का निर्धारण अधिनियम के सामान्य प्रावधान के अंतर्गत ₹3.17 करोड़ तथा विशेष प्रावधान के अंतर्गत ₹1.84 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए पूर्ण किया गया। इसके पूर्व, ₹ 3.17 करोड़ की आय पर दिसंबर 2010 में अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण पूर्ण किया गया था। जबकि दिनांक 07 अक्तुबर 2011 के सीआईटी(ए) के आदेश की प्रभावी बनाते हुए, ₹1.78 करोड़ की कारोबार हानि को उपलब्ध आय (जिस सीमा तक आय उपलब्ध थी) के प्रति समंजित किया गया तथा ₹3.54 करोड़ की शेष कारोबार हानि आगामी निर्धारण वर्ष में समंजित किऐ जाने के लिए अग्रेनीत करने की अनुमति दी गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2008-09 में समंजन हेतु केवल ₹ 2.59 करोड़ की कारोबार हानि उपलब्ध थी, इस प्रकार, ₹ 1.78 करोड़ की हानि को समंजित करने के बाद आगामी निर्धारण वर्ष में समंजन किए जाने के लिए अग्रेनीत करने हेतु ₹ 0.82 करोड़ की कारोबार हानि शेष थी। तथापि, विभाग ने ₹ 3.54 करोड़ की हानि को अग्रेनीत करना अनुमत किया, जिसके परिणामत: ₹ 2.72 करोड़ की हानि गलत अग्रेनीत हुई जिसमें ₹ 92.36 लाख का संभावित कर प्रभाव शामिल है। विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2019) कि सीआईटी(ए) के आदेश के आधार पर नि.व. 2007-08 में निर्धारिती को ₹ 7.90 करोड़ की हानि हुई जिसे अग्रेनीत किया जाना था। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नि.व. 2007-08 के रिकॉर्ड की जांच के दौरान यह पाया गया कि उक्त अपील आदेश को प्रभावी बनाने हेतु विभाग ने कोई आदेश पारित नहीं किया है। कर रिपोर्ट में दर्शायी गयी उपलब्ध शेष की राशि को अस्वीकृत करने के कोई विपरीत साक्ष्य नहीं थे। नि.व. 2007-08 के लिए निर्धारण रिकॉर्ड भी कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सूचित आंकड़ों की पुष्टि करते हैं।

पैरा संख्या 2.8 से 2.12 दिखाते हैं कि अधिनियम में निर्धारिति प्रावधान तलाशी निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था। यह इंगित करता है कि निर्धारण प्रक्रिया

अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा सरकारी खजाने को संभावित राजस्व हानि को रोकने के लिए मजबूत नहीं है।

सीबीडीटी यह जाँच करे कि ये त्रुटियाँ जानबूझकर की गई या चूक के कारण है तथा उस सम्बंध में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

2.13 अन्य मामले

हमने तीन राज्यों में 53 मामलों में पाया कि निर्धारण अधिकारी ने तलाशी निर्धारणों के दौरान प्रावधानो जैसे कि अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी (टीपीओ) को मामले सदंर्भित न करने, आयकर अधिनियम में सनदी बेंक लेखाकार द्वारा की गई गलती पर कार्रवाई करने, प्रविष्टि प्रदाता पर कार्रवाई में विलंब करने, आयकर रिटर्न फाईल किऐ बिना निर्धारण, निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व संयुक्त-आयुक्त द्वारा पूर्व अनुमोदन न लेना आदि का अनुपालन नहीं किया।

हमने तीन राज्यों में 17 मामलों को भी देखा है, जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए नकद भुगतान अननुमत न करना, नकद में ऋण के लिए शास्ति का न लागू करना तथा वरिष्ठ नागरिक के सम्बंध में धारा 234बी के तहत ब्याज का न लगाने से सम्बंधित 30.66 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है।

अवग्या के चार मामले नीचे सोदाहरण दिए गए है:

2.13.1 आयकर रिटर्न फाईल किए बिना निर्धारण

अधिनियम की धारा 139(1) के अनुसार, कंपनी होने के नाते व्यक्ति नियत तिथि पर या उससे पूर्व, पिछले वर्ष के दौरान उसकी आय की रिटर्न प्रस्तुत करेगा।

हमने पाया कि निर्धारिती द्वारा नि.व. 2008-09 से 2011-12 के लिए आय की रिटर्न फाईल किए बिना एक निर्धारिती के मामले में निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण पूर्ण कर दिया। इसे सोदाहरण नीचे दर्शाया गया है:

- महाराष्ट्र प्र. सीआईटी (कैंद्रीय)-III, मुंबई प्रभार में समूह की एक कंपनी के मामले में सितंबर 2013 में एक तलाशी की गई। अधिनियम की धारा 153ए के अंतर्गत नोटिस के प्रत्युत्तर में, प्राधिकृत प्रतिनिधि ने उत्तर दिया कि निर्धारिती कंपनी 21 जनवरी 2008 को निगमित की गई थी तथा 09 फरवरी 2011 को बंद कर दी गई थी, लेकिन इसमें कोई कारोबार कार्यकलाप नहीं हुऐ थे, कोई बैंक खाता नहीं खोला गया, और कोई वित्तीय दस्तावेज भी तैयार नहीं किए गए। अत: निर्धारिती द्वारा नि.व. 2008-09 से 2011-12 के लिए आय की कोई रिटर्न फाईल नहीं

की गई। निर्धारिती का यह उत्तर स्वीकार कर लिया गया तथा मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153(ए) के अंतर्गत आय की रिटर्न के बिना शून्य आय निर्धारित करके निर्धारण पूर्ण कर दिया गया। इसके अतिरिक्त नियम की धारा 271(एफ) के अंतर्गत रिटर्न फाईल न करने के लिए कोई शास्ति भी उद्ग्रहित नहीं की गई। विभाग ने बताया (अगस्त 2019) कि अधिनियम की धारा 153ए के अन्तर्गत नोटिस का अनुपालन किया जाना चाहिए था। तथापि, इस मामले में कोई कारोबार कार्यकलाप नहीं हुए थे कोई आय नहीं हुई और इसलिए राजस्व की कोई हानि नहीं हुई। चूंकि कोई आय नहीं थी और कोई कर नहीं था, अभियोग कार्रवाई भी आरंभ नहीं की जा सकती थी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 153(ए) के अंतर्गत शामिल मामलों की सूची में निर्धारिती का नाम था तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती को रिटर्न फाईल करना आवश्यक था।

2.13.2 निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व संयुक्त आयुक्त से पूर्व अनुमोदन न लेना

अधिनियम की धारा 153डी के प्रावधानों के अनुसार, संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन को छोड़कर अधिनियम की धारा 153ए के खंड(बी) में संदर्भित प्रत्येक निर्धारण वर्ष या अधिनियम की धारा 153बी की उप-धारा(1) के खंड (बी) में संदर्भित निर्धारण वर्ष के संबंध में संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे के किसी निर्धारण अधिकारो द्वारा कोई निर्धारण या पुनर्निर्धारण आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

बिहार में प्र. सीआइटी (केंद्रीय)**,** पटना**,** प्रभार में अक्तुबर 2015 में एक तलाशी की गई थी तथा ₹3.30 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए अप्रैल 2017 में नि.व. 2014-15 के लिए समुह के एक निर्धारिती का निर्धारण पूर्ण किया गया। यह देखा गया कि जेसीआईटी द्वारा ₹84.04 लाख का मसौदा निर्धारण अनुमोदित किया गया था तथापि, ₹2.46 करोड़ के परिवर्धन के बाद अंतिम निर्धारण ₹3.30 करोड़ पर पूर्ण किया गया जिसे जेसीआईटी द्वारा अनुमोदित किया गया नहीं पाया गया।

2.13.3 बकाया मांग के प्रति जब्त परिसंपत्तियों का उपयोजन न किया जाना

अधिनियम की धारा 132बी(1) (ii) तथा (iii) यह प्रावधान करती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वर्तमान देयता की राशि जब्त किए गए धन से

वसूल की जा सकती है तथा यदि कोई धन जब्त नहीं किया गया हो या जब्त किया गया धन उक्त देयताओं के पूर्ण भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है तो अधिनियम की धारा 132बी(1) (iii) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार शेष देयताओं की वसूली के लिए अन्य जब्त परिसंपत्तियों का उपयोजन किया जा सकता है।

ओडिशा प्र. सीआईटी (केंद्रीय) विशाखापत्तनम प्रभार में, लेखापरीक्षा ने देखा कि पांच समुहों में क्रमश: सितंबर 2014, अक्तुबर 2013, अगस्त 2015, फरवरी 2016 तथा अप्रैल 2012 में की गई तलाशी में 13 निर्धारितियों से ₹ 15.53 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियां तथा ₹ 65.50 लाख की नकदी के साथ साथ $1330 की विदेशी मुद्रा जब्त की गई। उपरोक्त समुहों से संबंधित निर्धारण रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने ₹ 6.92 करोड़ के शेष को छोड़ते हुऐ इन निर्धारितियों की ₹ 7.58 करोड़ की समग्र मांग के प्रति तलाशी के दौरान जब्त की गयी नकदी केवल ₹ 65.50 लाख को ही समायोजित किया। हालांकि, ₹ 14.87 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियां तथा $1330 की विदेशी मुद्रा विभाग की अभिरक्षा में रही, निर्धारण अधिकारी ने
₹ 6.92 करोड़ की बकाया मांग के साथ इसे समायोजित नहीं किया।

2.13.4 नॉन-फाईलर पैन पर कार्रवाई

सीबीडीटी ने प्रणाली का प्रयोग करते हुए संभावित कर देयताओं वाले नॉन-फाईलर को प्रमुखता देते हुऐ एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में नॉन-फाईलर्स मॉनीटरिंग सिस्टम (एनएमएस) प्रारम्भ[15] की। यह प्रणाली आयकर विभाग डेटाबेस (वार्षिक सूचना रिटर्न, केंद्रीय सूचना शाखा तथा टीडीएस/टीसीएस रिटर्न आदि) से उन पैन-फाईलर की पहचान करता है जिसके पास पैन है।

महाराष्ट्र, प्र. सीआईटी (केंद्रीय-3) प्रभार में, समुह के एक निर्धारिती के मामले में दिसंबर 2015 में एक तलाशी की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि समुह के निर्धारितियों में से एक निर्धारिती एक भागीदार फर्म, वि.व. 2010-11 में विघटित कर दी गई थी तथा तदोपरांत निर्धारिती द्वारा उसका अधिपत्य ले लिया गया और इस प्रकार पूर्ववती फर्म निर्धारिती का एक स्वामित्व प्रतिष्ठान बन गई। लेखापरीक्षा में पाया कि यद्यपि भागीदार फर्म विद्यमान नहीं थी, फिर भी उसका पैन परिचालन में था और नि.व. 2011-12 से 2016-17 के लिए उस भागीदार फर्म के 26एएस से ₹ 27.68 लाख के कर की स्रोत पर कटौती देखी गई लेकिन उपर्युक्त नि.व. के लिए भी भागीदारी फर्म द्वारा

---

[15] 2013 के निर्देश 14 दिनांक 23.09.2013

रिटर्न फाईल नहीं की जा रही थी। विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा एनएमएस ने भी इस मामले की नॉन-फाईलर के रूप में पहचान नहीं की।

2.13.5 टीपीओ को मामला संदर्भित करना

धारा 92सीए प्रावधान करती है कि जहां निर्धारण अधिकारी यह करना आवश्यक समझे या ऐसा करना समीचीन हो, वह अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या विनिर्दिष्ट घरेलु लेनदेन संबंधी एएलपी की संगणना टीपीओ को संदर्भित कर सकता है।

हमने महाराष्ट्र में दो निर्धारितियों से संबंधित नौ निर्धारण मामलों में देखा कि टीपीओ को मामला संदर्भित करने की सभी शर्तों के पूरा होने के बावजूद निर्धारण अधिकारी ने मामला टीपीओ को संदर्भित नहीं किया। एक निर्धारिती से संबंधित मामला सोदाहरण नीचे दिया गया है:

- महराष्ट्र, प्र. सीआईटी (केंद्रीय)-2, मुम्बई में समुह की एक कंपनी के मामले में अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत तलाशी कार्रवाई और अधिनियम की धारा 133ए के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्रवाई मार्च 2015 में की गई तथा दिसंबर 2017 में अधिनियम की धारा 153ए के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि नि.व. 2009-10 से 2013-14 तथा 2015-16 के दौरान निर्धारिती निर्यात बिक्री के साथ-साथ घरेलू किराया क्षेत्र (डीटीए) में भी शामिल था। नि.व. 2009-10 से 2013-14 तथा 2015-16 के लिए दुबई स्थित संबंधित पार्टी के साथ निर्यात बिक्री ₹ 2800.88 करोड़ थी जो कि निर्यात बिक्री का 91.95 से 100 प्रतिशत था। निर्धारिती संबंधित पार्टी के साथ काफी बड़ी राशि के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में शामिल था तथा अधिनियम की धारा 92ई के अंतर्गत अपेक्षित लेखाकार की रिपोर्ट को फाईल/प्रस्तुत नहीं किया गया था। अधिनियम की धारा 92ई की परिभाषा के अन्दर आर्मस लैंथ प्राइज का निर्धारण करने के लिए टीपीओ को संदर्भित करने की सभी शर्तों को पूर्ण करने के बाद भी, मामला टीपीओ को संदर्भित नहीं किया गया। इसका राजस्व पर प्रभाव पड़ सकता है।

2.13.6 आयकर अधिनियम में सनदी लेखाकार द्वारा की गई गलतियो पर कार्रवाई

अधिनियम की धारा 288 यह प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति जो विधि व्यवसायी या लेखाकार हो, उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने

हेतु हकदार प्राधिकारी {भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई)} द्वारा अपनी पेशेवर क्षमता में कदाचार का दोषी पाया जाता है तो आईसीएआई द्वारा पारित आदेश का आयकर प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के उसके अधिकार पर प्रभावी होगा क्योंकि इसका संबंध उसके विधि व्यवसायी या लेखाकार, जैसा भी मामला हो, के रूप में कार्य करने के उसके अधिकार से है।

हमने महाराष्ट्र में 18 मामले देखे जहां पर की लेखा पुस्तकों, कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों आदि की नियमित लेखापरीक्षा के दौरान कमियां सूचित न करने पर सनदी लेखाकार पर कोई शास्ति लगाने की कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई ताकि उसे नियमित निर्धारण के दौरान संबोधित किया जा सके। दो मामले सोदाहरण नीचे दिए गऐ हैं:

i) महाराष्ट्र प्र. सीआईटी (केंद्रीय), पूणे प्रभार में अक्तुबर 2015 में समुह की एक कंपनी के मामले में एक तलाशी की गई। तलाशी के बाद, अधिनियम की धारा 142(2ए) के अंतर्गत मामला विशेष लेखापरीक्षा हेतु सनदी लेखाकार को भेज दिया गया। यह मामला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विशेष जांच लेखापरीक्षा के लिए अन्य सनदी लेखाकार को भी संदर्भित किया गया था। इन दो रिपोर्टों में कई विसंगतियां प्रतिवेदित की गई। नि.व. 2010-11 से 2016-17 के लिए अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 153ए के अंतर्गत तलाशी निर्धारण के दौरान, इन रिपोर्टों में पाई गई विभिन्न विसंगतियो के कारण ₹608.26 करोड़ को विभाग ने अननुमत किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि ये अनियमितताएं निर्धारण अधिकारी के संज्ञान में थी, विभाग ने सनदी लेखाकार, जिसने निर्धारिती की लेखा बहियों, कर लेखापरिक्षा रिपोर्ट तथा फार्म 3 सीईबी आदि को नियमित रूप से प्रमाणित किया था, उसके प्रति कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की।

ii) महाराष्ट्र, प्र. सीआईटी (केंद्रीय)-IV, मुंबई प्रभार में समुह की एक कंपनी के मामले में अक्तुबर 2012 में एक तलाशी की गई। तलाशी के दौरान, यह पाया गया कि निर्धारिती समूह ने आर एंड डी लेखा में कच्चे माल का व्यय दर्ज करते हुए नि.व. 2010-11 से 2013-14 के लिए अधिनियम की धारा 35 (2एबी) के अंतर्गत अधिक कटौती का दावा किया है जबकि कच्चे माल का उपयोग फैक्ट्रियों में किया जा रहा है। निर्धारिती ने स्वीकार किया कि एडवेंट आर एंड डी केंद्र की बहियों में अन्य सुविधाओं से संबंधित व्यय गलत रूप से प्रविष्ट किए गए। जिसके कारण निर्धारिती द्वारा धारा 35(2एबी) के अंतर्गत कटौती के अधिक दावे किए गये थे।

तथापि मार्च 2015 में अधिनियम की 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के अंतर्गत निर्धारण के दौरान उसे अननुमत किया गया। निर्धारिती के सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण उसकी लेखाबहिया, कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा फॉर्म-3सीएल सनदी लेखाकार द्वारा नियमित रूप से प्रमाणित किए जाते थे तथा उन रिपोर्टों में कोई विसंगति सूचित नहीं की गई। इस प्रकार, निर्धारिती की लेखाबहियां निर्धारिती के दैनिक कार्यकलापों की सही और निष्पक्ष स्थिति निरूपित नहीं करती। प्रमाणपत्रों में पाई गई विसंगतियों के बावजूद, विभाग ने सनदी लेखाकार के विरूद्ध कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की। आरंभ में, विभाग ने यह कहते हुऐ लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार नहीं की कि तत्कालीन मामलें में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। क्योंकि मामला न्यायाधीन था। इसके अतिरिक्त विभाग ने बताया कि अब कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है।

2.13.7 प्रविष्टि प्रदाता पर कार्रवाई में विलंब

फर्जी बिल प्रदान करने के आरोप में लगे हुए समंजन प्रविष्टि प्रदाता के प्रमाणित मामले में भी आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अधिनियम में कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

हमने महाराष्ट्र में एक निर्धारिती से संबंधित सात निर्धारण मामलों में देखा कि जहां विभाग ने समंजन प्रविष्टि प्रदाता पर कार्रवाई में अत्यधिक देरी की तथा मामला नीचे सोदाहरण दिया गया है:

- महाराष्ट्र, प्र. सीआईटी (केंद्रीय), नागपुर प्रभार में, दिसंबर 2012 में एक समुह की एक कंपनी के मामले में तलाशी की गई। लेखापरीक्षा ने मूल्यांकन रिपोर्ट तथा निर्धारण आदेश से देखा कि निर्धारिती कच्चे माल की फर्जी अपंजीकृत डीलर यूआरडी खरीद तथा फर्जी शेयर आवेदन राशि आदि में शामिल था। ये सभी फर्जी बिल समंजन प्रविष्टि प्रदाता सनदी लेखाकार के माध्यम से उपलब्ध कराये गए थे। अधिनियम की धारा 279(1) के अंतर्गत संस्वीकृती/प्राधिकार के अनुमोदन से यह देखा जा सकता है कि विभाग ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सनदी लेखाकार ने जानबूझकर तथा स्वेच्छा से निर्धारिती को कर चोरी करने में सहायता की तथा जानबूझकर और स्वेच्छा से निर्धारिती को अधिनियम की धारा 276सी(1) के अंतर्गत अपराध करने हेतु उकसाया। अधिनियम की धारा 277ए तथा 278 के अंतर्गत सनदी लेखाकार के अभियोजन हेतु स्वीकृति/प्रधिकार 08 अक्तुबर 2018 को जारी किया गया तथा सहायक आयुक्त, आयकर, केंद्रीय सर्कल 2(2), नागपुर को नि.व. 2007-08 से

2013-14 के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में फौजदारी शिकायत दर्ज कराने के लिए प्राधिकृत किया। इस प्रकार, निर्धारण की तिथि (अर्थात 30 मार्च 2015) से साढ़े तीन साल तथा तलाशी की तिथि (अर्थात समंजन प्रतिष्टियां उपलब्ध कराने की वास्तविक जानकारी) से 6 वर्ष 10 माह बीत जाने के बाद फौजदारी शिकायत दर्ज कराने हेतु संस्वीकृति/प्राधिकार जारी किया गया। दिनांक 30 जनवरी 2019 की आरसीसी द्वारा सनदी लेखाकार के अभियोजन हेतु माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागपुर के समक्ष फौजदारी शिकायत दर्ज की गई है। इस प्रकार विभाग ने अभियोजन प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से विलंबित किया।

2.14 निष्कर्ष

अधिनियम में सुस्पष्ट विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अभाव के कारण निर्धारिती को अनुचित लाभ अनुमत किया गया। इन प्रावधानो में अघोषित आय के विरुद्ध हानि का समंजन/अग्रेनीत करना अधिनियम की धारा 153ए/153सी के अन्तर्गत नोटिस जारी करने हेतु समय-सीमा का न होना, जिसके परिणामत: निर्धारण के लिए कम समय मिला जिसमें मानवीय भूल का जोखिम था जो निर्धारण की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता था फर्जी लेनदेनो से संबंधित पूंजीगत हानि की अननुमती शामिल था।

विभाग ने निर्धारण को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु जांच में इंगित मामलों की गहराई से जांच करने को सरल बनाने के लिए केंद्रीय प्रभारों में सभी मामलों को केंद्रीकृत नहीं किया। तलाशी निर्धारणों में आयकर विभाग द्वारा किऐ गए परिवर्धन अपीलीय स्तर पर या तो पूर्ण रूप से स्थिर नहीं रह पाए या बहुत ही कम प्रतिशत मामले ही स्थिर रहे तथा साथ ही परिवर्धन करने में न तो उनमे एकरूपता थी और न ही समुचित औचित्य । आयकर विभाग ने आरंभिक आकड़ो को अपनाने में समान स्टैंड नहीं लिया। अर्थात् अधिनियम की धारा 143(3)1 के अंतर्गत/सीआईटी(ए) के आदेश को प्रभावी बनाने के लिए पहले से निर्धारित आय या तलाशी मामलों में आय की गणना हेतु, अधिनियम की धारा 153ए/153सी/143(1) के अंतर्गत रिटर्न की गई आय विभाग ने नियमित निर्धारण में हानि के प्रति अघोषित आय के अनियमित समायोजन को अनुमत किया। विभाग ने सीबीडीटी के वर्तमान निदेशों/परिपत्रों का अनुपालन नहीं किया और निर्धारणो को अंतिम रूप देते हुए मूल्यांकन प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों का संज्ञान नहीं लिया। सीएजी के पूववर्ती लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन 2006 की सं. 7 में उठाए गऐ अधिकतर मुद्दे अभी तक विद्यमान हैं।

2.15 सिफारिशें

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

(i) सीबीडीटी तलाशी और जब्ती के दौरान पाई गई अघोषित आय के प्रति नियमित निर्धारण में निर्धारित की गई पिछले वर्षों/पूर्व वर्षों की हानि के समंजन की अनुमति नहीं देने के लिए उपयुक्त प्रावधान लाए।

(पैराग्राफ 2.4.1)

सीबीडीटी ने कहा (जून 2020) कि सीएजी की अभियुक्ति पहले से ही कानून में समाविष्ट है जिसके कारण आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

सीबीडीटी फर्जी क्रय और बढ़े हुए इनवाइस आदि के सम्बंध में मौजूदा प्रावधानों की पर्याप्तता की जाँच करे क्योंकि इनसे अघोषित आय मौजूदा प्रावधानों के दायरे में नहीं आती है।

(ii) सीबीडीटी अधिनियम की संशोधित धारा 153ए/153सी के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए समय सीमा लागू करे।

(पैराग्राफ 2.4.2)

सीबीडीटी ने कहा (जून 2020) कि इस मुद्दे की जांच टीपीएल डिवीजन द्वारा की जाएगी।

(iii) सीबीडीटी यह जाँच करे कि ये त्रुटियाँ, चूक या जानबूझकर की गई गलतियां हैं और उस सम्बंध में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

(पैराग्राफ 2.4.3)

(iv) आयकर विभाग केन्द्रीय मंडल में सभी तलाशी मामलों में केन्द्रीयकरण के संबंध में सीबीडीटी के मौजूदा निर्देशों की अनुपालना की निगरानी के लिए तंत्र को मजबूत करे, ताकि मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लिखित सभी मुद्दों का समाधान किया जा सके और निर्धारण को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

(पैराग्राफ 2.5)

सीबीडीटी ने बताया (जून 2020) कि केन्द्रीयकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजस्व की किसी हानि को रोकने के लिए और उचित निर्धारण को सुगम बनाने के लिए समूह तलाशी के साथ सीधे जुड़े सभी मामलों का

एक स्थान पर निर्धारण किया गया है। लेकिन इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं कि संबंधित पक्षों को भी केन्द्रीकृत किया जाना है।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि जहां एक विशिष्ट निर्धारिती से संबंधित मुद्दे मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लिखित हुए हैं, उसको केंद्रीयकृत किया जाए और निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उनका निर्धारण नाम/ पहचान रहित तरीके से होना चाहिए जहाँ पर निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी एक दुसरे की पहचान के बारे में नहीं जानते हों।

(v) विभाग यह सुनिश्चित करे कि तलाशी वारंट सूचना के समुचित परिक्षण, अनुसंधान और उचित परिश्रम के बाद जारी किया जाए जो संदेह से परे हो क्योंकि तलाशी और जब्ती में निर्धारिती और उनके परिवारों का बहुत उत्पीड़न शामिल है। न्यायिक निकाय की भूमिका की संभावना भी तलाश की जाए। सीबीडीटी कम संधारणीयता के कारणों का विश्लेषण करे और सम्बंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें।

(पैराग्राफ 2.6)

(vi) सीबीडीटी समान स्थितियों के तहत एक ही कानून की प्रयोज्यता में व्यापक भिन्नता के कारणों की जाँच करे तथा निर्धारण करने में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक समाधान निकाले। सीबीडीटी यह भी जाँच करे कि ये त्रुटियाँ जानबूझकर या चूक से हुई हैं और उस सम्बंच में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करे।

(पैराग्राफ 2.7, 2.8 से 2.12)

अध्याय 3: आयकर विभाग के विभिन्न विंगों के मध्य तथा आयकर विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय

आयकर विभाग के विभिन्न विंगों/अन्य सरकारी एजेंसियों के मध्य समन्वय तथा निर्धारण प्रभारों के बीच महत्वपूर्ण सूचना का समय पर आदान-प्रदान, उचित समय पर कार्यवाही तथा गुणवत्ता निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सूचना का समन्वय तथा आदान-प्रदान राजस्व की संभावित निकासी को रोकने के लिए संबंधित निर्धारिती की सूचना के प्रति सत्यापन के उदेश्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।

इस अध्याय में हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि क्या आयकर विभाग का तलाशी मामलों के निर्धारणों को अधिक अर्थपूर्ण तथा प्रभावी बनाने के लिए इसके विभिन्न विंगों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के मध्य उचित समन्वय था। हमने आयकर विभाग के विभिन्न विंगों के मध्य तथा आयकर विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के मुद्दों से सम्बन्धित ₹ 420.74 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव के साथ 368 मामलों को पाया।

3.1 आयकर विभाग के विभिन्न विंगों के मध्य समन्वय

3.1.1 जब्त माल को सौंपने में देरी के परिणामस्वरूप निर्धारण के लिए कम समय लगना

तलाशी एवं जब्ती से संबंधित सभी कार्य जैसे मूल्यांकन रिपोर्ट की तैयारी तथा संबंधित निर्धारण अधिकारी को जब्त लेखा बहियों को सौंपना उस तिथि से 60 दिनों की अवधि के अन्दर जांच विंग द्वारा पूर्ण किया जाना चाहिए जिस तिथि को तलाशी के लिए अन्तिम प्राधिकार निष्पादित किया गया तथा निर्धारिती प्रभार को भेजा गया। इसके अलावा अधिनियम की धारा 153बी के अनुसार, अधिनियम की धारा 153ए के अन्तर्गत निर्धारण के पूर्णता की निर्धारित समय-सीमा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 21 महीनों के अंदर है जिसमें तलाशी के लिए अन्तिम प्राधिकार निष्पादित किया गया।

हमने पांच राज्यों[16] में 39 समूहों में निर्धारण अधिकारी को जब्त माल के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट को सौंपने में एक महीने से 14 महीनों तक की देरी को पाया जो आयकर विभाग के जांच तथा केन्द्रीय निर्धारण विंगों के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है। जब्त माल को सौंपने में इस असामान्य देरी

[16] चंडीगढ, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल

के कारण निर्धारण के लिए कम समय रह सकता है जो निर्धारण की पूर्णता में जल्दबाजी के लिए मानवीय भूल के जोखिम का परिचायक है जिससे निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसे तीन मामलों को सोदाहरण नीचे दर्शाया गया है:

- पंजाब, प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), चन्डीगड़ प्रभार में, एक समूह के मामले में 04 जुलाई 2012 को तलाशी की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि जब्त माल के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट 02 जुलाई 2013 को निर्धारण अधिकारी को सौंप दी गई थी। इस प्रकार, जब्त माल के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट को प्रेषित करने में 60 दिनों के निर्धारित मानदंडों के प्रति 303 दिनों की देरी हुई थी।
- दिल्ली**,** प्र. सीआईटी (केन्द्रीय-2) दिल्ली प्रभार**,** में एक समूह के मामले में 24 मई 2012 को तलाशी की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि 25 फरवरी 2013 को निर्धारण अधिकारी को जब्त माल के साथ मुल्यांकन रिपोर्ट सौप दी गयी थी। इस प्रकार जब्त माल के साथ मुल्यांकन रिपोर्ट को प्रेषित करने में 60 दिनों के निर्धारित मानदंडों के प्रति 7 महीनों तथा एक दिन की देरी हुई थी।
- पश्चिम बंगाल, प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1 प्रभार में, एक समूह के मामले में 07 जनवरी 2016 में तलाशी की थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि जब्त माल के साथ मूल्यांकन रिर्पोट को 14 महीनों की देरी के बाद निर्धारण अधिकारी को सौंपा गया था।

इसलिए, हम सिफारिश करते है कि सीबीडीटी एक प्रणाली स्थापित करें ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि जब्त माल के साथ मूल्याकन रिर्पोट निर्धारित समय के अन्दर निर्धारण विंग को सौंपी जा सके ताकि निर्धारण अधिकारी को मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित किए गये सभी मुददों की जांच करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकें।

3.1.2 निर्धारण के दौरान मूल्यांकन रिर्पोट में दी गई शिफारिशों पर कार्रवाई

अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के प्रावधानों के अन्तर्गत तलाशी के दौरान पाए गए माल के आधार पर अघोषित निर्धारित आय की प्रमाणिकता को सत्यापित करने के बाद, निर्धारण अधिकारी निर्धारिती की कुल आय का निर्धारण अथवा पुन: निर्धारण करेगा। जुलाई 1991 के निर्देश सं. 1886 के अनुसार, मूल्यांकन रिर्पोट में निष्कर्षों से निर्धारण आदेश में किसी भिन्नता और उस पर कारणों को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यदि निर्धारण अधिकारी मूल्यांकन रिपोर्ट में प्राप्त किसी निष्कर्ष/परिणाम के सहमत[17] नहीं है तो मामलों का संबंधित ऊपर/संयुक्त डीआईटी (जांच) के साथ रेंज प्रमुख द्वारा निपटान किया जाएगा। सीआईटी, डीआईआई (जांच)[18] के साथ भी मुद्दों का निपटान कर सकता है।

हमने 13 राज्यों[19] के 260 मामलों में पाया जहां निर्धारण अधिकारी ने मूल्यांकन रिर्पोट में इंगित किए गए संव्यवहार के स्रोत/प्रमाणिकता को सत्यापित नहीं किया तथा प्रविष्टि प्रदाता से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट, असुरक्षित ऋण/अग्रिम में सिफारिश की गई अघोषित आय को नहीं जोड़ा, मूल्यांकन रिर्पोट में इंगित की गई संपूर्ण अघोषित आय को निर्धारित नहीं किया गया था, व्यय को टीडीएस के साक्ष्यों के अभाव में निर्धारिती की आय में वापस नहीं जोड़ा था, ₹ 327.02 करोड़ के शामिल कर प्रभाव को तलाशी फोल्डर तथा माल की प्राप्ति के बावजूद विभाग द्वारा कार्यवाही को प्रारम्भ नहीं किया गया था। यद्धपि विभाग को आयकर विभाग के अन्य विंगों अर्थात जांच विंग, टीडीएस सर्कल आदि के साथ इन मामलों में समन्वय की आवश्यकता तथा निर्धारण को अन्तिम रूप देने से पहले इन मुद्दों का निपटान करने की आवश्यकता थी तथापि इन्हें नहीं किया गया था। पांच मामलों को सोदाहरण नीचे दर्शाया गया है:

- उत्तर प्रदेश, प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) कानपुर प्रभार, में, अगस्त 2015 में एक समूह के एक निर्धारिती के मामले में तलाशी की गई थी और निर्धारण दिसंबर 2017 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने मूल्यांकन रिपोर्टो से पाया कि निर्धारिती हवाला गतिविधियों में शामिल था जैसा कि जब्त माल से पता चला जिसमें नि.व. 2015-16 और 2016-17 के दौरान ₹ 156.45 करोड़ को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों को वितरित विशेष संख्या वाली करंसी मुद्रा नोटो को दर्शाया गया तथा निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती के पास नकद के स्रोत का पता लगाने तथा उस व्यक्ति का विवरण जिसे ₹156.45 करोड़ का नकद वितरण किया गया था का पता लगाने का निर्देश दिया गया था। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने, तलाशी निर्धारणों को अन्तिम रूप देते हुए न तो उपरोक्त संव्यवहार के स्रोत/प्रमाणिकता को सत्यापित किया न ही आय में जोड़ा। इसके अतिरिक्त, ऐसा ना करने के लिए किसी कारण को दर्ज भी नहीं किया।

---

17 तलाशी एवं जब्ती मैनुअल (खंड-I) का पैरा 6-43

18 बोर्ड का पत्र संख्या एफ सं. 286/161/2006 आईटी (जांच-II) दिनांक 22 दिसंबर 2006

19 आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, असम, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ओडिसा, तामिलनाडु त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड।

चूक के परिणामस्वरूप कर तथा ₹ 64.29 करोड़ के ब्याज सहित अघोषित आय होने के नाते ₹ 153.54 करोड़ की आय छूट गयी।

- महाराष्ट्र प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-2 प्रभार, में, दिसंबर 2014 में एक निर्धारिती के मामले में तलाशी की गई तथा पाया गया कि निर्धारिती पेपर/शैल कंपनीयों से शेयर एप्लीकेशन मनी की समंजन प्रविष्टि को प्राप्त करने में लगा था। लेखापरीक्षा ने लेखा बहियों से पाया कि नि.व: 2009-10 के दौरान निर्धारिती ने ₹2.70 करोड़ का शेयर प्रीमियम लिया था। उपरोक्त शेयर प्रीमियम का विवरण निर्धारिती द्वारा फाईल की गई रिटर्न में शामिल नहीं किया गया था। तथापि, इन विवरणों को ना तो निर्धारण अधिकारी /विभाग द्वारा मांगा गया और न ही दिसंबर 2016 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के अन्तर्गत अन्तिम रूप दिए गए निर्धारण आदेश में चर्चा की गई थी। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.71 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹ 2.70 करोड़ की अघोषित आय का गैर संवर्धन हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि नि.व. 2010-11 से 2014-15 के लिए संवर्धन अन्य समूहों की तलाशी के साथ-साथ निर्धारिती समूह की तलाशी कार्रवाई के निष्कर्षों के आधार पर किया गया था। चूंकि, नि.व. 2009-10 के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था कि शेयर प्रीमियम जाली था।

विभाग का उत्तर इस आधार पर स्वीकार्य नहीं था कि निर्धारिती बोगस एप्लीकेशन मनी प्राप्त करने की प्रथा में लगा हुआ था और विभाग ने नि.व. 2010-11 से 2014-15 के लिए निर्धारण में शेयर एप्लीकेश मनी से संबंधित राशि को जोड़ा था। चूंकि, निर्धारती ने नि.वर्ष 2009-10 में उसी प्रकार का संव्यवहार किया था जो कि ब्लॉक निर्धारण का ही एक भाग था, निर्धारण अधिकारी को इस निर्धारण वर्ष के लिए भी अभिदाता की साख का सत्यापन करना चाहिए था।

- आन्ध्र प्रदेश प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद प्रभार, में, मई 2013 में एक कंपनी के मामले में तलाशी की गई थी तथा जनवरी 2015 में निर्धारण पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि मूल्यांकन रिपोंट के अनुसार ₹ 51.59 करोड़ की अघोषित आय नि.व. 2011-12 में निर्धारिती के पास घोषित की गई थी। तथापि अंतर के लिए किसी कारण को बताए बिना ₹ 10.28 करोड़ के शेष को छोड़ते हुए, निर्धारण के दौरान केवल ₹ 41.31 करोड़ को जोड़ा गया था। निर्धारिती के पास मूल्यांकन रिपोर्ट में

दर्शायी गई ₹ 10.28 करोड़ की अघोषित आय को संबंधित निर्धारण वर्ष में कर के लिए नहीं लाया गया तथा जांच विंग के साथ निर्धारण अधिकारी द्वारा मामले का निपटान भी नहीं किया गया था।

- दिल्ली प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-3 दिल्ली प्रभार, में जून 2012 में एक समूह तथा अन्य सहायक प्रतिष्ठानों के मामले में तलाशी की गई थी तथा अक्टुबर 2015 में निर्धारण पूर्ण किया गया था। मुल्यांकन रिर्पोट में यह बताया गया था कि निर्धारिती नि.वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में क्रमश: ₹1013.48 करोड़ तथा ₹ 120.10 करोड़ के उप-संविदा भुगतान पर टीडीएस की कटौती के बारे में किसी भी साक्ष्य को प्रस्तुत करने में विफल हो गया था। अत: संपूर्ण व्यय निर्धारिती की आय में वापिस जोड़ा जाना अपेक्षित था। यद्दपि, निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की आय में उपरोक्त राशि को वापिस नहीं जोडा। निर्धारण अभिलेखों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि निर्धारिती ने टीडीएस की कटौती के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। इसके अतिरिक्त, विभाग इस मुद्दें पर जांच विंग के साथ किसी बैठक के किसी विचलन नोट या साक्ष्य को प्रस्तुत करने में विफल रहा। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 589.81 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹ 1133.58 करोड़ तक की आय का कम निर्धारण हुआ था। विभाग ने बताया (अगस्त 2019) कि अगस्त 2019 में अधिनियम की धारा 154/155 के अन्तर्गत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई थी।
- केरल, सीआईटी (केन्द्रीय) कोची प्रभार, में, एक समूह के एक निर्धारिती के मामले में मार्च 2016 में एक तलाशी की गई थी। तलाशी के दौरान जब्त दस्तावेजों को काले धन (अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिनियम 2015 के अधिरोपण के प्रावधानों के उल्लंघन में उस ग्रुप नियंत्रक कंपनी में संस्था ग्रुप के किंगपिन द्वारा ₹ 17.38 करोड़ की राशि के लिए नकद निवेश के साक्ष्य थे। मूल्यांकन रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि कोर प्रमोटर ग्रुप के अन्य प्रमोटरों, विशेष रूप से उस निर्धारिती की विदेशी परिसंपत्ति धारिता का पता लगाने के लिए समान कार्रवाई न की जाए। यद्यपि जब्त माल के साथ तलाशी फोल्डर को मई 2017 में क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी को प्रेषित किया गया था, विभाग ने इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की।

इसलिए, हम सिफारिश करते हैं कि सीबीडीटी एक प्रणाली स्थापित करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित किए गये मुद्दों को निर्धारण के दौरान विधिवत संबोधित किया गया है।

3.1.3 अधिनियम की धारा 132(4) के अन्तर्गत शपथ पर आधारित बयान पर किया गया संवर्धन।

अधिनियम की धारा 132(4) के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत तलाशी अभियानों के दौरान शपथ के अन्तर्गत दर्ज कोई बयान साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 131(1) भी निर्धारण अधिकारी को उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों को स्त्यापित करने के लिए निर्धारण के दौरान निर्धारिती से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त जुलाई 1991 के निर्देश संख्या 1886 के अनुसार निर्धारण आदेश में मूल्यांकन रिपोर्ट के निष्कर्षों से बदलाव के कारण स्पष्ट रुप से दर्ज किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि निर्धारण अधिकारी मूल्यांकन रिपोर्ट के मामलों/निष्कर्षों से सहमत[20] नहीं है तो रेंज प्रमुख द्वारा मामले को सम्बंधित अतिरिक्त/संयुक्त डी.आई.टी.(अन्वेषण) के साथ हल किया जाना चाहिए। सी.आई.टी. मामले को डी.आई.टी.(अन्वेषण)[21] के साथ भी हल कर सकता है।

अघोषित आय के निर्धारण के लिए प्रभावी तरीके में अधिनियम की धारा 132(4) के अन्तर्गत शपथ पर दर्ज बयान के प्रयोग न करने से संबंधित मुद्दें को सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2006 की संख्या 7 में भी उजागर किया गया था, यद्यपि अनियमितता अभी भी मौजूद है।

हमने छह राज्यों[22] में 25 मामले में 93.72 करोड़ के कर प्रभाव को देखा कि नि.अ. ने निर्धारिती के धारा 132(4) के अंतर्गत शपथ पर आधारित बयान का प्रयोग साक्ष्य के तौर पर नहीं किया या अधिनियम की धारा 131 के अंतर्गत जानकारी मांग कर उसका सत्यापन नहीं किया। इसके अतिरिक्त नि.अ. ने निर्धारिती द्वारा स्वीकार की गई अघोषित आय का संवर्धन नहीं किया था अथवा तलाशी के दौरान शपथ पर किए गए बयान के आधार पर व्यय को अस्वीकृत नहीं किया तथा नि.अ. ने ना संवर्धन/व्यय को अस्वीकृत करने के कारणों को दर्ज किया और ना ही अघोषित आय का मामले को, सीबीडीटी के निर्देशों और सर्च एवं सीजर मैंनुअल के अनुसार अन्वेषण अनुभाग से हल

20 तलाशी एवं जब्ती मैनुअल (खंड-I) का पैरा 6-43

21 बोर्ड का पत्र संख्या एफ सं. 286/161/2006 आईटी (जांच-II) दिनांक 22 दिसंबर 2006

22 बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड

किया जो कि मूल्यांकन रिपोर्ट के परिणामों/निष्कर्षों से असहमति पर आवश्यक था। दो मामलों को सोदाहरण नीचे दर्शाया गया है:

- गुजरात प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) अहमदाबाद प्रभार, में, जनवरी 2015 में एक समूह के एक निर्धारिती के मामलें में एक तलाशी की गई थी तथा निर्धारण दिसंबर 2016 में पूर्ण किया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट से यह देखा गया था कि निर्धारिती ने नि.व. 2009-10 एवं 2010-11 के लिए, 'बी' देश के एक इकाई, के माध्यम से 'ए' देश से आयातित फर्नीचर के कम मूल्यांकन के लिए नकद में ₹1.26 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया था। इस तथ्य को अधिनियम की धारा 132(4) के अन्तर्गत दर्ज बयान में निर्धारिती द्वारा स्वीकार किया गया था। तथापि, उसी को निर्धारण में अधिनियम की धारा 40ए(3) के अंतर्गत अस्वीकृत नहीं किया गया था तथा उसके लिए निर्धारण अधिकारी ने कारणों को भी दर्ज नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹42.81 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 1.26 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। विभाग ने बताया कि निर्धारिती ने अलेखांकित कम बीजक वाली खरीदों पर निवल लाभ दिया था तथा जिसे आय की रिटर्न में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था। इसके अलावा, यह बताया गया था कि अधिनियम की धारा 40ए(3) के प्रावधान लाभ एवं हानि लेखा को डेबिट किए गये व्यय के संबंध में लागू है।

  विभाग का उत्तर इस आधार पर स्वीकार्य नहीं है कि अधिनियम की धारा 40ए(3) के अनुसार, निर्धारिती द्वारा अधिनियम में निर्धारित सीमा से अधिक नकद में कोई व्यय किया गया है तो, ऐसे व्यय के संबंध में कोई भी कटौती अनुमत नहीं की जाएगी। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि व्यय लाभ तथा हानि खाते में डेबिट किया जाना चाहिए। इस मामले में निर्धारिती ने नकद में कम बीजक की खरीदों के कारण व्यय किए थे तथा उसे ही आयकर उद्देश्य के लिए लाभ के रूप में प्रस्तुत किया था जो कि स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि व्यय के दावे करने के बाद लाभ प्राप्त हुआ था तथा इसलिए धारा 40ए(3) के अन्तर्गत अननुमय था।

- उत्तर प्रदेश प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), कानुपर प्रभार में, अक्तूबर 2013 में एक समूह के मामले में एक तलाशी की गई थी तथा निर्धारण अक्तूबर 2014 में पूर्ण किया गया था। निर्धारण अधिकारी ने समूह के एक निर्धारिती के मामले में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय नि.व. 2013-14 के लिए यह निष्कर्ष निकाला कि निर्धारिती के पास ₹ 201.99 करोड़ की असत्यापित नकद ऋण/प्राप्तियां थी तथा ₹ 86.99 करोड़ को यह बताते

हुए जोड दिया कि निर्धारिती ने धारा 132(4) के अंतर्गत ₹ 115 करोड़ स्वीकार किए थे। यद्यपि लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने ना तो अपनी रिटर्न में उपरोक्त राशि को प्रस्तुत किया था और ना ही निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण आदेश में उसे जोड़ा था। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 67.16 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹ 115 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ था।

इसलिए, हम पुनरावृत्ति करते हैं कि अधिनियम के प्रावधान 132(4) का प्रभावी उपयोग करने के लिए आयकर विभाग अपनी निर्धारण प्रक्रिया को मजबूत करे।

सीबीडीटी ने लेखापरीक्षा सिफारिश की जांच करने पर सहमति व्यक्त की (जून 2020)।

3.2 आयकर विभाग तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय

3.2.1 आयकर विभाग के साथ अन्य सरकारी एजेंसियों/प्राधिकरणों द्वारा सूचना का आदान-प्रदान न करना।

क्षेत्रीय आर्थिक सूचना समिति (आरईआईसी) को क्षेत्र में विभिन्न आर्थिक प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संचालन समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित[23] किया गया है जिससे व्यापार तथा उद्योगों पर सामान्य आर्थिक सूचना एकत्र हो तथा उनके द्वारा संसाधित अथवा दायर महत्वपूर्ण मामलों पर जानकारी का विनिमय/आदान-प्रदान की सुविधा हो सकें। आरईआईसी में सीबीईसी तथा सीबीडीटी के अधीन कमीश्नर तथा ऊपर के रेंक के राजस्व विभाग के सभी अधिकारी जिन्हें कर कानून के प्रवर्तन का प्रशासनिक उत्तरदायित्व सौंपा गया है, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की संबंधित ऐजेसियों के प्रमुख रीजन में बैंको के स्थानीय प्रमुख आदि शामिल है। आवधिक बैठकें की जाती हैं जिनमें विभिन्न एजेंसियों द्वारा संसाधित जानकारी का आदान-प्रदान किया जाता है। जहां पर आरईआईसी में आयकर विभाग के प्रतिनिधि/नोडल अधिकारी अन्य प्रतिभागी एजेंसियों से तलाशी की संभावना वाली किसी जानकारी को प्राप्त करते है, उसे उचित कार्रवाई के लिए डीआईटी (अन्वेषण) को भेज देना चाहिए।

हमने महाराष्ट्र में आठ मामले देखे जहां अन्य सरकारी एजेंसियां अर्थात आरईआईसी तथा सीबीईसी ने आयकर विभाग के साथ जानकारी साझा नहीं की। इसके परिणामस्वरूप, निर्धारण अधिकारी, उत्पाद शुल्क, के भुगतान के

[23] तलाशी एवं जब्ती मैनुअल खंड-I का पैरा 2.16(2)

बिना स्टॉक को हटाने, बिना बीजक/बिलों के नकद में खरीदारी तथा निवेश के स्रोत की प्रमाणिकता आदि जैसे मुद्दों को या तो तलाशी निर्धारणों अथवा अपेक्षित सूचना की जांच के बिना निर्धारण को अंतिम रूप देने में संबोधित नहीं कर सका जो राजस्व के हित के लिए हानिकारक हो सकते है। ऐसे दो मामलों को सोदाहरण नीचे दर्शाया गया है:

i) महाराष्ट्र प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) नागपुर प्रभार, में, एक निर्धारिती के मामले में मई 2013 को एक तलाशी की गई थी तथा यह पाया गया था कि डीजीसीईआई पुणे ने निर्धारिती के परिसर पर फरवरी 2010 में एक तलाशी की तथा पता चला था कि निर्धारिती ने शुल्क के भुगतान के बिना ₹26.27 करोड़ का नकद प्रतिफल प्राप्त करके दिसंबर 2009 से फरवरी 2010 के दौरान स्टॉक को गुप्त रूप से हटा दिया था। निर्धारिती ने निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया था तथा ₹1.91 करोड़ के उत्पाद शुल्क का भुगतान किया। निर्धारिती ने चार आपूतिकर्ताओं से बिना बीजकों/बिलों के ₹20.62 करोड़ नकद में स्टॉक की खरीदारी भी की थी। एक आपूर्तिकर्ता जिसकी ग्रुप कंपनी थी जिसने ₹7.33 करोड़ का नकद में प्रतिफल प्राप्त करके स्टॉक की आपूर्ति की थी। उपरोक्त नकद बिक्री के लिए, ₹5.06 करोड़ की नकद खरीदारी की गई थी। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने एचयूएफ तथा एक कंपनी के मामले में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के अन्तर्गत दिनांक मार्च 2016 के निर्धारण आदेश में तथा धारा 40ए(3) के अन्तर्गत क्रमश: ₹20.62 करोड़ तथा ₹5.06 करोड़ की उपरोक्त नकद खरीदों को अस्वीकृत कर दिया है। यदि डीजीसीईआई, पुणे द्वारा पायी गयी ₹25.68 करोड़ की नकद खरीदों तथा ₹33.59 करोड़ की नकद बिक्री की इन विसंगतियों को आयकर विभाग के साथ समय पर साझा किया गया होता तो कर के परिहार को रोकने के लिए नियमित निर्धारण के समय पर उसे सम्बोधित किया जा सकता था।

ii) महाराष्ट्र प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-II मुम्बई प्रभार, में एक समूह की एक कंपनी के मामलें में सितंबर 2013 में एक तलाशी की गई थी। तलाशी अभियान के दौरान, यह पाया गया था कि निर्धारिती कंपनी के पास नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. (एनएसईएल) के प्लेटफार्म पर अनिर्णित स्थितियों के कारण इसके 825 ग्राहकों की ओर से प्राप्य के रूप में ₹642.78 करोड़ थे। 825 ग्राहकों में से 821 ग्राहकों के संबंध में निवेशों के स्रोत की प्रमाणिकता को जांचने के लिए जिनके पास मार्च 2013 तक एनएसईएल पर अनिर्णित स्थिति थी, ऐसे मामलों को डीआईटी (अन्वेषण) द्वारा डीआईटी (आईएंडसीआई) मुम्बई, को स्थानांतरण कर दिया गया था।

संयुक्त आयुक्त, पुलिस के कार्यालय (ईओडब्लयू) मुम्बई ने आयकर कार्यवाहियों के परिप्रेक्ष्य में सामान्य में समूह तथा विशेष में कंपनी के संबंध में जानकारी के आदान-प्रदान करने का भी अनुरोध किया था। तथापि, इन कार्यालयों में से किसी से भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। जबकि डीआईटी (जांच) तथा सीआईटी (सी) सहित सभी उपरोक्त एजेंसिया आरईआईसी की सदस्य थी। इसके परिणामस्वरूप, निर्धारण अधिकारी ने अपेक्षित सूचना की जांच किए बिना निर्धारण को अन्तिम रूप दिया जो राजस्व के हित के लिए हानिकारक हो सकता है। अत: क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना काउंसिल (आरईआईसी) जैसी संस्थाओं के गठन का उद्देश्य इस मामले में विफल हो गया था।

विभाग ने बताया (अगस्त 2019) कि डीजी (आईएंडसीआई) तथा संयुक्त सीपी(ईओडब्ल्यू) से जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी और मामला सीमांकन के कारण कालबाधित हो रहा था निर्धारण अधिकारी ने आदेश पास कर दिया था। इसके अतिरिक्त, यदि कोई जानकारी, डीआईटी (आईएंडसीआई) तथा संयुक्त सीपी(ईओडब्लयू) द्वारा साझा की गई है, जिसके कारण आय छूट गयी है, तो विभाग के पास अधिनियम की धारा 147 के अन्तर्गत उपचारी कार्रवाई का विकल्प हमेशा उपलबध है।

3.2.2 आयकर विभाग द्वारा अन्य सरकारी एजेंसियों/प्राधिकरणों से जानकारी साझा न करना

तलाशी एवं जब्ती मैनुअल के खंड-I के पैरा 6.60, 6.61 तथा 6.62 संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों, प्राधिकरणों, अथवा विभागों से या तो प्रत्यक्ष रूप से और/अथवा क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समिति के माध्यम से तलाशी/पूर्ण तलाशी निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान पाई गई जानकारी साझा करने को क्रियाविधि भी निर्धारित करते हैं। जहां ऐसी सूचना संवेदनशील मामले से संबंधित है, तो सूचना की पद्धति तथा तरीके को डीआईटी (अन्वेषण) की सलाह से अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए। ऐसी सूचनाओं के तथ्य को निर्धारण अधिकारी, रेंज अतिरिक्त/संयुक्त सीआईटी, सीआईटी तथा डीआईटी (अन्वेषण) को भी सूचित किया जाना चाहिए। इसे मूल्यांकन रिर्पोट मे भी उल्लेखित किया जाना चाहिए यदि ऐसी सूचना इसके अन्तिम रूप दिये जाने से पहले की गई थी।

हमने चार राज्यों[24] में 11 मामलों में पाया जहां पर कि पेपर कम्पनियों को ऋणों को देने, औद्योगिक संवर्धन आर्थिक सहायता (पीएसआई)/बिक्री कर आर्थिक सहायता सरकारी ऐंजसियों/प्राधिकरणों के साथ आयकर विभाग

---

[24] गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

द्वारासाझा नहीं की गई थी। ऐसे चार मामलों को सोदाहरण नीचे दर्शाया गया है:

i) महाराष्ट्र प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय)-III मुम्बई प्रभार, में, दिसंबर 2015 में एक समूह के परिसर में तलाशी की गई थी। तलाशी और निर्धारण प्रक्रिया के दौरान, आयकर विभाग को ज्ञात हुआ कि समूह एनबीएफसी से अधिनियम एमबीएफसी द्वारा निर्धारित सीमा के निर्धारित जोखिम के अनुसार प्रारंभिक रूप से अतिरिक्त ऋण के लिए योग्य नहीं था। तदुपरान्त 16 असंबंधित निजी लिमिटेड कंपनियों का समूह द्वारा गठन किया गया था जिनमें निदेशक और अंशदाता कंपनी के कार्मचारी होंगे तथा एनबीएफसी द्वारा दी गई सलाह के रूप में एनबीएफसी से अधिक निधियों को प्राप्त करने के लिए योजना भुगतानों के लिए ईकाईयों में अंतत: चैनलाईज किया गया। अंतत: एनएफसी ने वि.वर्ष 12-13 से 14-15 के दौरान ₹463 करोड़ का एक ऋण अग्रिम दिया यद्यपि इन पेपर कंपनियों की वित्तिय स्थिति ऋण लेने के लिए पात्र होना इतना आसान नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि बिना पात्रता के पेपर कंपनियों को ऋण मंजूर करने का मामला एक गंभीर मुद्दा था और जिसे अन्य सरकारी विभाग/एजेंसियों के साथ साझा किया जाना अपेक्षित था ताकि अन्य मामलो में इस प्रकार कि अनियमितताओं को होने से रोका जा सके। तथापि, आयकर विभाग द्वारा जानकारी की सीधे रूप में अथवा आरईआईसी के माध्यम से साझा नहीं किया गया था। इस तरह की कमियों की घटनाओं की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

   विभाग ने बताया (जून 2019) कि आरईआईसी फोल्डरों को जांच निदेशालय द्वारा अनुरक्षित रखा गया था तथा केन्द्रीय प्रभारों के समय साझा नहीं किया था। तथापि, उपरोक्त जानकारी को मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार जून 2019 मे केन्द्रीय प्रभारों द्वारा आरबीआई के साथ साझा की थी।

   विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त जानकारी को लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई अभ्युक्तियों के छ: माह के बाद साझा किया गया था। इसके अतिरिक्त, ऐसी महत्वपूर्ण सूचना वास्तविक समय आधार पर संबंधित एजेंसियों को पास कर दी जानी चाहिए ताकि ऐसी अनियमिताओं को समय पर जांचा जा सके।

ii) महाराष्ट्र प्र. सीआईटी (केंद्रीय), पूना प्रभार, में, अक्टूबर 2015 में एक समूह की एक कंपनी के मामले में तलाशी की गई और इसमें अनेक विसंगतियां

देखी गई। इसके बाद, अधिनियम की धारा 142(2ए) के तहत विशेष लेखापरीक्षा के लिए मामला संदर्भित किया गया था। इस मामले को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विशेष जांच लेखापरीक्षा के लिए भी संदर्भित किया गया था। इन दो रिपोर्टों में अनेक विसंगतियां देखी गई। विसंगतियों में से एक विसंगति परिसंपत्तियों पर नि.व. 2010-11 से 2016-17 के दौरान ₹372.70 करोड़ के मूल्यह्रास का अनियमित दावा था, जिसके लिए बीजकों का सूचीकरण और अन्य समर्थक दस्तावेज सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराये थे। पूर्वोक्त विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट और विशेष जांच रिपोर्ट के आधार पर, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण आदेश में निष्कर्ष निकाला कि निर्धारिती ने कोई परिसंपत्ति नहीं खरीदी थी और स्थायी संपत्तियों की मात्रा को खाता-बही में बढ़ाकर लिखा गया था और तदनुसार अगस्त 2018 में अधिनियम की धारा 153ए के साथ पठित धारा 144 के तहत ₹372.70 करोड़ के मूल्यह्रास के संपूर्ण अनियमित दावे को अस्वीकृत कर दिया था। विभाग ने राजस्व प्राप्तियों के रूप में मानी जाने वाली बृहत परियोजना इकाई की स्थापना करने के लिए पीएसआई के तहत महाराष्ट्र सरकार से पूर्वोक्त नि.व. के दौरान प्राप्त की गई ₹181.12 करोड़ की औद्योगिक प्रोत्साहन सब्सिडी (पीएसआई)/बिक्री कर सब्सिडी अस्वीकृत की थी। चूंकि निर्धारिती ने महाराष्ट्र सरकार से पीएसआई सब्सिडी का गलत दावा किया था, विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट और विशेष जांच लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु महाराष्ट्र सरकार के साथ साझा की जानी चाहिए थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा निर्धारण अभिलेख से पता नहीं लगा सकी कि क्या निर्धारण अधिकारी द्वारा या तो सीधे या आरईआईसी के माध्यम से सूचना महाराष्ट्र सरकार/अन्य संबंधित एजेंसियों/विभाग के साथ साझा की गई थी।

iii) उत्तर प्रदेश, प्र. सीआईटी (केंद्रीय), कानपुर प्रभार, में एक समूह की एक कंपनी के मामले में अक्टूबर 2013 में एक तलाशी की गई थी। मार्च 2016 में ₹54.28 करोड़ की रिटर्न आय के किसी भी परिवर्धन के बिना नि.व. 2014-15 के लिए निर्धारण पूर्ण किया गया था। निर्धारिती कंपनी एक एकाधिकार रखने वाली सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी थी और कृषि वस्तुओं सहित विभिन्न वस्तुओं के कारोबार में लगी हुई थी। निर्धारिती के खाता-बही खरीद और बिक्री दर्शा रहे थे परंतु प्रारंभिक तथा अंत स्टॉक और प्रत्येक वर्ष की कारोबार में हानि को नहीं दर्शा रहे थे। यद्यपि, नि.व. 2010-11 से 2014-15 से ग्राहकों से उधार ली गई निधियों और अग्रिमों में से एफडी में निवेश में भारी वृद्धि हुई थी। निर्धारिती कंपनी ने विभिन्न

विदेशी देशों से कृषि से संबंधित वस्तुएं खरीदी थी और भारत में इनको लाए बिना विदेशों से सीधे अन्य देशों में बिक्री की थी। कंपनी ने भारत से अपने संपूर्ण कारोबार का प्रबंधन किया था और विदेशी ग्राहकों/खरीदारों को बिक्री बीजक जारी किए थे। निर्धारिती कंपनी ने विदेशी लेनदारों और ग्राहकों से अग्रिमों द्वारा धन जुटाकर और एफडी में निवेश करके एक बड़ी देयता सृजित की थी, जिससे ब्याज की वह आय अर्जित की गई थी, जिसे अन्य खर्चों के रूप में अधिक राशि वहन करके उच्च लागत पर खरीद और कम कीमत पर बिक्री के कारण कारोबार हानि के प्रति समायोजित किया गया था। निर्धारिती कंपनी ने नि.व. 2014-15 के लिए विविध लेनदारो के रूप में ₹ 2,249.22 करोड़ और ग्राहको से अग्रिम के रूप में ₹ 415.65 करोड़ की अधिक राशि की घोषणा की थी। अधिप्राप्ति, अंत:क्रमण और करों, शुल्कों और अन्यों के अधिक बीजक बनाने के पहलू की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा), मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के तहत की जानी अपेक्षित थी। तथापि, आयकर विभाग ने कारोबार और विदेशी लेनदारों/अग्रिमों की वास्तविकता की जांच के लिए ईडी को कोई भी सूचना नहीं दी थी। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था।

iv) उत्तर प्रदेश प्र. सीआईटी (केंद्रीय) कानपुर प्रभार में अक्टूबर 2015 में एक निर्धारिती के मामले में तलाशी की गई और यह पाया कि निर्धारिती ने अगस्त 2008 में अनुमोदित एक अस्पताल के निर्माण के लिए नक्शा प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद विकास प्राधिकरण (एडीए) को ₹ 50.04 लाख की राशि जमा कराई थी। तथापि, यह पाया गया कि दिए गए पते पर इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अस्पताल भवन के बजाय निर्धारिती का एक आलीशान निवास था। इस संबंध में, मूल्यांकन रिपोर्ट में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण को यह सूचना देने का सुझाव दिया गया था। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में पता चला कि आयकर विभाग ने एडीए को यह सूचना नहीं दी थी। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था।

इस प्रकार, आयकर विभाग के विभिन्न विगों के साथ-साथ अन्य सरकारी एजेंसियों/प्राधिकरणों के मध्य समन्वय का अभाव था। इसके अलावा, महत्वपूर्ण सूचना या तो साझा नहीं की गई थी या विलंब से साझा की गई थी। परिणामस्वरूप, संबंधित एजेंसियों/अधिकारियों द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की जा सकी।

इसलिए, हम सिफारिश करते है कि आयकर विभाग, विभाग के विभिन्न विंगों के साथ-साथ अन्य सरकारी एजेंसियों के मध्य सूचना के आदान-प्रदान के तंत्र को मजबूत करें और प्रभावी निर्धारणों के लिए समयबद्धता सुनिश्चित करें और *निर्धारिती को अनुचित लाभ लेने से रोकें।*

सीबीडीटी ने बताया (जून 2020) कि मौजूदा प्रक्रियाएं/तंत्र विभाग के अंदर और साथ ही अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ सूचना का प्रभावी आदान-प्रदान पहले से ही कर रहे हैं और बोर्ड ने समय-समय पर संबंधित क्षेत्रीय सरंचनाओं को समय-सीमा का सख्ती से पालन करने हेतु निर्देशित करने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। तथापि, सीबीडीटी ने इस बात पर सहमति दी कि मौजूदा तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

3.3 तलाशी और जब्ती निर्धारणों में मॉनीटरिंग तंत्र

3.3.1 जब्त की गई सामग्री की एक व्यापक और पद्धतिगत जांच के आधार पर कार्रवाई नोट प्रस्तुत करना

सीबीडीटी निर्देशों के एफ.सं. 286/161/2006-आईटी (अन्वेषण-II) दिनांक 22.12.2006 के पैरा 1.5 के अनुसार , मूल्यांकन रिपोर्ट में उपलब्ध टिप्पणियों के अलावा, जब्त की गई सामग्री की एक व्यापक और पद्धतिगत जांच के आधार पर एक कार्रवाई नोट निर्धारण अधिकारी द्वारा जब्त सामग्री की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर तैयार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त उल्लिखित सीबीडीटी निर्देश के पैरा 1.7 के अनुसार, तैयार किए गए कार्रवाई नोट की एक प्रति, अपर/संयुक्त सीआईटी द्वारा समुचित पर्यवेक्षण को सक्षम बनाने के लिए अनुपालन रिपोर्ट के भाग के रूप में उनके माध्यम से सीआईटी (सेन्ट्रल) को भेजी जानी चाहिए।

हमने सभी राज्यों में 185 चयनित समूहों के संबंध में इस मुद्दे का विश्लेषण किया और इस संबंध में हमारी अभ्युक्तियां निम्नानुसार है:

(i) हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश प्रभार में 36 चयनित समूहों में निर्धारण अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान पूर्ण किए गए तलाशी निर्धारणों के लिए कार्रवाई नोट तैयार नहीं किए गए थे। इसके अलावा, महाराष्ट्र प्रभार में चार मामलों में विभाग ने बताया कि अभिलेखों के अनुसार कार्रवाई नोट उपलब्ध नहीं थे।

(ii) असम, बिहार, गुजरात, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल प्रभारों में 74 चयनित समूहों में, संबंधित

पीसीआईटी/सीआईटी ने कार्रवाई नोट को तैयार करने/जमा करने की सूचना नहीं दी थी।

चूंकि कार्रवाई नोट तैयार करना/प्रस्तुत करना मॉनीटरिंग तंत्र का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, उसको तैयार नहीं करना/प्रस्तुत नहीं करना एक गंभीर चूक थी, जिसने सक्षम अधिकारी द्वारा तलाशी निर्धारणों के उचित पर्यवेक्षण में बाधा उत्पन्न की।

3.3.2 निर्धारणों के गुणात्मक पहलुओं पर पृथक विवरणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

निर्धारण अधिकारी को ऐसे मामलों में निर्धारण के गुणात्मक पहलू पर एक पृथक विवरणात्मक रिपोर्ट तैयार करनी होती है जहां जब्ती/समर्पण/अनुमानित छिपाव 50 लाख या इससे अधिक है और यह प्रत्येक तिमाही मेम्बर (अन्वेषण) को भेजनी होती है (18 जुलाई 1991 के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की क्रम सं. 05 के निर्देश की सं. 1886/1991 (एफ सं. 286/109/91-आईटी (अन्वेषण II)।

हमने राज्यों में पृथक-पृथक विवरणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मुद्दे की जांच की और इस संबंध में हमारी अभ्युक्तियां निम्नानुसार है:-

1. महाराष्ट्र और ओडिशा प्रभार में चयनित आठ समूहों में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान पूर्ण किए गए तलाशी निर्धारणों के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा पृथक विवरणात्मक रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश में छः समूहों में यह सुनिश्चित नहीं था कि क्या ये प्रस्तुत किए गए थे अथवा नहीं।
2. असम, बिहार, गुजरात, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभार में चयनित 59 समूहों में संबंधित पीसीआईटी/सीआईटी ने पृथक विवरणात्मक रिपोर्ट को तैयार करने/प्रस्तुत करने की सूचना नहीं दी।

इस प्रकार, विभाग से उत्तर के अभाव में, लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या पृथक विवरणात्मक रिपोर्ट नियमित रूप से भेजी जा रही थी।

इसलिए, हम सिफारिश करते है कि जहाँ पर कार्रवाई नोट/पृथक विवरणात्मक रिपोर्ट नहीं तैयार की गई हो वहां जिम्मेदारी निश्चित की जाए और समुचित कार्रवाई की जाए ताकि तलाशी कार्यों का उद्देश्य पराजित ना हो।

3.4 कर आधार को व्यापक बनाना

तलाशी और जब्ती परिचालनों के *फलस्वरूप* अनेक नए निर्धारिती पाए गए और कर दायरे में जोड़े गए जिसके परिणामस्वरूप कर आधार व्यापक हुआ और राजकोष में राजस्व की वृद्धि हुई।

हमने बिहार और महाराष्ट्र प्रभार में 25 मामलों में पाया कि यद्यपि संबंधित मूल्यांकन रिपोर्ट में भूमि/फ्लैट/वस्तुओं के उन विक्रेताओ से संबंधित सूचना दी गई थी, जो संभावित निर्धारिती हो सकते हैं। विभाग ने अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। विभाग ने यह भी पुष्टि नहीं की कि क्या ये विक्रेता विभाग के कर दायरे में हैं और नियमित रूप से विवरणी दाखिल कर रहे हैं। दो सोदाहरण मामले नीचे दिए गए है:

- बिहार प्र. सीआईटी (केंद्रीय), पटना प्रभार, में जनवरी 2015 में एक समूह के मामले में तलाशी की गई थी। हमे समूह की मूल्यांकन रिर्पोट से पता चला कि निर्धारण अधिकारी को अधिनियम की धारा 56(2)(VII) (बी) के अनुसार 30 जून 2013 के विक्रेताओं को होने वाले पूंजीगत लाभ और क्रेताओं को अन्य स्रोत से होने वाली आय पर भी अधिनियम की धारा 50सी के प्रावधानों के अनुसार कर की देयता सत्यापित करने का सुझाव दिया गया था। हमने देखा कि 18 व्यक्तियों (व्यक्ति/फर्म/कंपनी) ने ₹536.91 लाख पर समूह (11 निर्धारितियों) को भूमि/फ्लैट का विक्रय किया था। विक्रेताओं से संबंधित निर्धारण अधिकारी के साथ पूंजीगत लाभ के उद्ददेश्य के लिए सूचना साझा की जानी थी, परंतु इसको संबंधित निर्धारण अधिकारी के साथ साझा नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि दो खरीदारों का निर्धारण संबंधित पटना सेंट्रल सर्कल में नहीं किया गया था। तथापि उन्होंने ₹47.31 लाख का भूमि/फ्लैट खरीदा गया था जिसका स्टाम्प मूल्य ₹93.45 लाख था। क्रय मूल्य और स्टाम्प मूल्य के बीच ₹46.14 लाख का अंतर था। चूंकि इन निर्धारितियों का निर्धारण नहीं किया गया था, इसलिए लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि क्या दो खरीदारों ने भिन्न राशि पर कर प्रस्तुत किया था और क्या खरीदार नियमित रूप से अपनी आयकर विवरणी दाखिल कर रहे थे। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था।
- महारष्ट्र प्र. सीआईटी (सेंट्रल), नागपुर प्रभार, में, एक समूह के मामले में अगस्त 2012 में एक तलाशी की गई, जिसमे निर्धारिती सम्मिलित थे तथा निर्धारण मार्च 2016 में पूर्ण किया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट से लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने नि.व. 2007-08 से 2013-14 के लिए अपंजीकृत विक्रेता (यूआरडी) से ₹687.59 करोड़ के सोयाबीन के बीज खरीदे थे। निर्धारिती ने यूआरडी खरीदों के आपूर्तिकर्ता की पहचान के

लिएपैन, विक्रेता का पता और वैध बीजक आदि प्रस्तुत नहीं किए थे। न तो तलाशी विंग और न ही निर्धारण प्रभार उन आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने में सक्षम थे, यद्यपि कुछ आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान एक करोड़ रूपयों से भी अधिक थे। यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या आपूर्तिकर्ता कर दायरे में थे और नियमित रूप से अपनी कर विवरणी दाखिल कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, इस बात की भी पुष्टि नहीं की गई कि क्या यूआरडी द्वारा इस प्रकार की प्राप्तियों को कृषि आय के रूप में नहीं अपितु आय के रूप में प्रस्तुत किया गया क्योंकि एक मामले में अधिनियम की धारा 40ए(3) के तहत इन आय को जोड़ा गया था।

इसके अतिरिक्त, विभाग ने महाराष्ट्र में 5 समूहों मे यह बताया कि तलाशी-जब्ती निर्धारण के बाद कर दायरे में जोड़े गए नए निर्धारितियों की कोई संख्या निर्धारित नहीं थी। नियमित रूप से आय कर विवरणी दाखिल करने और तलाश किए गए निर्धारितियों के संवीक्षा हेतु चयन के संबंध में, विभाग ने महाराष्ट्र के एक समूह को बताया था कि ऐसी कोई मॉनीटरिंग लागू नहीं थी, जबकि महाराष्ट्र के अन्य समूह के मामले में बताया कि मॉनीटर करना संभव नहीं था।

इसलिए, हम सिफारिश करते हैं कि आयकर विभाग तलाशी अभियानों/निर्धारणों के फलस्वरूप कर दायरे में जोड़े गए नए निर्धारितियों का पता लगाने के लिए एक सिस्टम तैयार करें और यह भी देखे कि वे निर्धारिती कर अनुपालन कर रहे हैं।

सीबीडीटी ने बताया (जून 2020) कि प्र. सीआईटी से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, वे चूकों का पता लगाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो।

3.5 निष्कर्ष

आयकर विभाग के विभिन्न विंगों के बीच समन्वय शिथिल था जो अन्वेषण विंग द्वारा निर्धारण अधिकारी को जब्त की गई सामग्री और मूल्यांकन रिपोर्ट सौंपने में हुए विलंब से स्पष्ट था।

निर्धारण अधिकारी ने अघोषित आय का परिवर्धन और व्यय को अस्वीकृत नहीं किया यद्यपि तलाशी के दौरान निर्धारिती ने शपथ-पत्र द्वारा इसको स्वीकार किया था। आयकर विभाग के विभिन्न विंगों के साथ-साथ अन्य सरकारी एजेंसियों/प्राधिकरणों के बीच समन्वय की कमी थी। ऐसे मामलें भी थे जहां एक विभाग/अन्य सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध सूचना को आयकर विभाग के साथ या इसके विपरीत साझा नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, तलाशी में सामने आए मुद्दों की जांच प्रमाणित करने वाले साक्ष्य से नहीं की

जा सकती थी। इसके अतिरिक्त ऐसे मामले थे, जिनमे महत्वपूर्ण सूचनाओं के विलंब से साझा करने/साझा न करने के कारण संबंधित एजेंसियों/प्राधिकरणों द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की गई थी। कार्रवाई नोट तथा पृथक विवरणात्मक रिपोर्ट जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा तालाशी निर्धारणों के पर्यवेक्षण हेतु महत्वपूर्ण उपकरण है, को तैयार न करने और प्रस्तुत नहीं करने से मॉनीटरिंग तंत्र में बाधा हुई। इसके अतिरिक्त, तलाशी और जब्ती परिचालनों/निर्धारणों के कारण कर *दायरे* में जोड़े गए नए निर्धारितियों की पहचान करने और उनके द्वारा नियमित रूप से विवरणियां दाखिल करने की मॉनीटरिंग के लिए आयकर विभाग में कोई उचित तंत्र नहीं था।

3.6 सिफारिशें

लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि:

(i) *सीबीडीटी एक प्रणाली स्थापित करें ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि जब्त माल के साथ मूल्याकन रिर्पोट निर्धारित समय के अन्दर निर्धारण विंग को सौंपी जा सके ताकि निर्धारण अधिकारी को मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित किए गये सभी मुददों की जांच करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकें।*

(पैराग्राफ 3.1.1)

(ii) *सीबीडीटी एक प्रणाली स्थापित करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित किए गये मुद्दों को निर्धारण के दौरान विधिवत संबोधित किया गया है।*

(पैराग्राफ 3.1.2)

(iii) *अधिनियम के प्रावधान 132(4) का प्रभावी उपयोग करने के लिए आयकर विभाग अपनी निर्धारण प्रक्रिया को मजबूत करे।*

(पैराग्राफ 3.1.3)

सीबीडीटी ने लेखापरीक्षा सिफारिश की जांच करने पर सहमति व्यक्त की (जून 2020)।

(iv) *आयकर विभाग, विभाग के विभिन्न विंगों के साथ-साथ अन्य सरकारी एजेंसियों के मध्य सूचना के आदान-प्रदान के तंत्र को मजबूत करें और प्रभावी निर्धारणों के लिए समयबद्धता सुनिश्चित करें* और *निर्धारिती को अनुचित लाभ लेने से रोकें।*

(पैराग्राफ 3.2)

सीबीडीटी ने बताया (जून 2020) कि मौजूदा प्रक्रियाएं/तंत्र विभाग के अंदर और साथ ही अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ सूचना का प्रभावी आदान-प्रदान पहले से ही कर रहे हैं और बोर्ड ने समय-समय पर संबंधित क्षेत्रीय सरंचनाओं को समय-सीमा का सख्ती से पालन करने हेतु निर्देशित करने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। तथापि, सीबीडीटी ने इस बात पर सहमति दी कि मौजूदा तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

(v) जहाँ पर कार्रवाई नोट/पृथक विवरणात्मक रिपोर्ट नहीं तैयार की गई हो वहां जिम्मेदारी निश्चित की जाए और समुचित कार्रवाई की जाए ताकि तलाशी कार्यों का उद्देश्य पराजित ना हो।

(पैराग्राफ 3.3)

(vi) आयकर विभाग तलाशी अभियानों/निर्धारणों के फलस्वरूप कर दायरे में जोड़े गए नए निर्धारितियों का पता लगाने के लिए एक सिस्टम तैयार करें और यह भी देखे कि वे निर्धारिती कर अनुपालन कर रहे हैं।

(पैराग्राफ 3.4)

सीबीडीटी ने बताया (जून 2020) कि प्र. सीआईटी से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, वे चूकों का पता लगाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो।

नीलेश कुमार साह

नई दिल्ली **(नीलेश कुमार साह)**
दिनांक: 03 अगस्त 2020 **प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर-I)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(राजीव महर्षि)**
दिनांक: 04 अगस्त 2020 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

संदर्भ पैरा 1.6

नमूना चयन

कार्यलय का नाम	राज्य	निर्धारण किए गए समूह की कुल सं.	चयनित समूह की सं.	चयनित मामलों की संख्या
डीजीए (सी), मुम्बई	महाराष्ट्र	196	25	3925
पीडीए (सी), अहमदाबाद	गुजरात और राजस्थान	144	15	3147
डीजीए (सी), चेन्नई	तमिलनाडु और केरल	194	25	1702
डीजीए (सी), कोलकाता	पश्चिम बंगाल और एनईआर	249	24	2968
पीडीए (सी), लखनऊ	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड	148	25	5496
पीडीए (सी), हैदराबाद	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	119	17	1461
डीजीएसीआर नई दिल्ली	दिल्ली, एम.पी. और छत्तीसगढ़	221	20	3655
पीडीए (सी), बैंगलुरू	कर्नाटक और गोवा	83	15	478
पीडीए (सी), चंडीगढ़	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर	63	19	2807
		1417	**185**	**25639**

परिशिष्ट-2

संदर्भ पैरा सं. 1.7

अभिलेखों को प्रस्तुत न करना

कार्यालय का नाम	राज्य	समूह की संख्या	मामलों की संख्या	लेखापरीक्षित की गई मामलों की संख्या	लेखापरीक्षित नहीं किये गए मामलों की संख्या	बकाया मामलों का प्रतिशत
डीजीए (सी), मुम्बई	महाराष्ट्र	25	3925	3763	162	4
पीडीए (सी), अहमदाबाद	गुजरात और राजस्थान	15	3147	2640	507	16
डीजीए (सी), चेन्नई	तमिलनाडु और केरल	25	1702	1672	30	2
डीजीए (सी), कोलकाता	पश्चिम बंगाल और एनईआर	24	2968	2945	23	0.8
पीडीए (सी), लखनऊ	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड	25	5496	5496	0	0
पीडीए (सी), हैदराबाद	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	17	1461	1422	39	3
डीजीएसीआर नई दिल्ली	दिल्ली, एम.पी. और छत्तीसगढ़	20	3655	3648	7	0
पीडीए (सी), बैंगलुरू	कर्नाटक और गोवा	15	478	478	0	0
पीडीए (सी), चंडीगढ़	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर	19	2807	2805	2	0
		185	**25639**	**24869**	**770**	**3.00**

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
www.cag.gov.in